

अभिनिर्णय

1- वाद संख्या	5/84
2- ग्राम-भरथारा, तहसील व जिला व परगना- लखनऊ	
3- प्रस्तुत क्षेत्रफल	806-11-1 बीघा
4- क्या जमींदारी विन्यास अधिनियम लागू है- हां	
5- व्ययपत्र निकाय का नाम	लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
6- व्ययपत्र का प्रयोजन	जनपद- लखनऊ में उच्चरिच्योव आवासीय योजना भाग-2, लखनऊ
7- उचित क्षेत्रफल	801-17-19 बीघा
8- विज्ञापित धारा-4 के प्रकाशन की तिथि	8-12-84
9- विज्ञापित धारा-6 के प्रकाशन की तिथि	8-12-84
10- क्या धारा-17 का प्रयोग हुआ है	हां
11- कच्चा की तिथि	21-3-85/74-19-3, 27-3-85/ 50-0-7, 28-3-85/75-0-3, 29-3-85/ 80-12-9, 31-3-86/364-18-12 बीघा 25-2-1967
12- अभिनिर्णय की तिथि	
13- अभिनिर्णित धनराशि:	
	भूमि का प्रतिफल ₹0 1,82,87,393.07
	कूटों का प्रतिफल ₹0 2,71,116.38
	निर्माणों का प्रतिफल 52,555.00
	योग- 1,86,11,064.45
	36 प्रतिशत सोलेशियम 55,83,319.34
	सम्पूर्ण योग- 2,41,94,383.79
14- पूंजी कृत मूल्य	₹0 2,66,114.00
15- धनराशि ब्याज	नियमानुसार देय होगा।

डॉ० बी०डी० सिंह
 विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी
 शारदा सहायक परियोजना
 लखनऊ ।



अभिनर्णय-पत्र

वाद संख्या	5/84
ग्राम-	भरवारा
परगना-	लखनऊ
तहसील-	लखनऊ
जिला-	लखनऊ ।

यह भूमि अर्जन प्रस्ताव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जनपद लखनऊ में उजरियांच जावासीय योजना भाग-2, लखनऊ के निर्माण हेतु प्राप्त हुआ । अर्जन के अन्तर्गत जाने वाली भूमि जमींदारी विनाश क्षेत्र के अन्तर्गत आती है । इस योजना की प्रथम विज्ञप्ति धारा-4 § 1 § दिनांक 8-12-84 तथा धारा-6 की विज्ञप्ति दिनांक 8-12-84 को गजट में प्रकाशित हुई । इस ग्राम की कुल प्रस्तावित भूमि 806-11-1 बीघा है, जिसमें से प्लॉट संख्या 62/0-10-0, 166/1-9-0, 168/0-2-15, 243/0-5-4, 281/0-5-0, 85/0-6-13, 50/0-8-0, 51स/0-10-0, बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रेणी 4 दर्ज है तथा ससरा नम्बर 281स/0-7-0 श्रेणी 5 एवं ससरा नम्बर 51स/0-3-0 बीघा श्रेणी-6 ग्राम अभिलेखों में अंकित है । इस प्रकार श्रेणी 4, 5 व 6 की कुल भूमि 4-7-2 बीघा भूमि ग्राम समाज दर्ज है, जिसका प्रतिफल देखा न होगा । कुल प्रस्तावित रकबा 806-11-1 बीघा में से 4-7-2 बीघा भूमि जो ग्राम समाज की है तथा ससरा नम्बर 349 का कुल रकबा 11 बिस्वा है जबकि गजट में प्रकाश 16 बिस्वा का है, इस प्रकार 5 बिस्वा का अधिक गजट है, तथा ससरा नम्बर 607 का कुल रकबा 1-12-8 बीघा है, गजट में प्रकाशन 1-13-8 बीघा का हुआ है, । बिस्वा भूमि का अधिक प्रकाशन हुआ है । इस प्रकार दोनों ससरा नम्बरों में 6 बिस्वा रकबा अधिक प्रकाशित हुआ है जो प्रस्तावित कुल रकबा में से कम करना होगा इस प्रकार ग्राम समाज भूमि 4-7-2 बीघा व अधिक गजट भूमि 6 बिस्वा कुल रकबा 4-13-2 बीघा भूमि 806-11-1 में से कम करके 801-17-19 बीघा भूमि शुद्ध क्षेत्रफल बचता है जिसका अभिनर्णय किया जा रहा है । इस योजना में धारा-7/17 के भी प्राविधान दिनांक 8-12-84 को लागू हो गया है । अतएव भूमि का फल जाप्यापित निष्पत्ति को हस्तान्तरित किया गया ।

दिलचस्प व्यक्तियों को धारा 9 § 1 § § 1 § 1 § की नोटिसें निर्गत की गयी । जिन कारतकारों द्वारा अपना मांग पत्र / आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न

प्रकार है :-

सातवा सदीनी संख्या- 1 व 160

असरा नं० 207अ/7-17-19, बीघा, 206अ/0-17-15, 499/1-4-5, 663/9-17-18 बीघा भूमि अम्बर सिंह पुत्र शिवदर्शन सिंह के नाम ग्राम खीनलेली में बलीर भूमिधर अंकित है। अम्बर सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि उपरोक्त भूखण्ड के पास में इन्डिय नगर एवं गौपती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कालोनियां हैं, जहाँ पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं, बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस आदि की सुविधाएँ भी उपलब्ध कहा है तथा रेलवे स्टेशन भी बताया है। इस प्रकार भूमि की प्राकृतिक क्षमता से भरपूर बताया है। भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से 15 प्रतिशत न्यून नियमानुसार व 30 प्रतिशत सेलेनियम की मांग की है तथा परिवार के सदस्यों को ज्योतिष निश्चय में नौकरी, व्यापार परिवर्तन से इन्हि के घर में रु० 50,000/- व फसल के प्रतिफल की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में जो कहा है उस संबंध में तत्काल विकास प्राधिकरण, तत्काल से संबंध स्थापित करें। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निष्पन्न किया जायगा, देय होगा।

उक्त भूखण्डों के संबंध में एक आपत्ति पत्र रामनरेश सिंह पुत्र अम्बर सिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि उपरोक्त भूमि क्षेत्रक सम्पत्ति है जिसे हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार बाबा शिववर्मान सिंह के नाम सारी जमीन आयी है, वह कि प्रार्थी की उपरोक्त भूमि का किसी प्रकार का धटवारा श्री अम्बर सिंह पिता द्वारा नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि प्रार्थी एवं उसके भाई जो दिये गये शजरे के मुताबिक शंकर कला सिंह, रामनरेश सिंह, राजेन्द्रसिंह व देशराजसिंह उर्फ महाराजकला सिंह पुत्रगण अम्बर सिंह अलग-अलग रहते हैं। आपत्तिकर्ता वारा उपरोक्त संदर्भित भूमि में अपना 1/4 हिस्सा बताया है, आपत्तिकर्ता का यह कहना है कि उसके पिता उपरोक्त सम्पत्ति उसके भाई देशराज सिंह के परिवार में ही देना चाहते हैं जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। आपत्तिकर्ता रामनरेश सिंह अपना 1/4 भाग का प्रतिफल चाहा है। अपनी उक्त मांग के संबंध में साक्ष्य स्वरूप के एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जो उक्त मांग की पूर्ति के लिये सहायक सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इनकी मांग में कोई बल नहीं प्रतीत होता है अतएव आपत्ति निरस्त की जाती है। भूमि का प्रतिफल अम्बर सिंह को नियमानुसार देय होगा।

समाप्त खतौनी सं०-३

संख्या नं० 248/0-6-16 बीघा भूमि अग्रध्वज सिंह पुत्र भगौती शरण सिंह के नाम वतौर भूमिघर वर्ज है। अग्रध्वज सिंह निवासी 22 ए-सी, महानगर, लखनऊ द्वारा कोई मांग पत्र/आपत्ति पत्र दक्षिण किया जाना नहीं पाया जाता है। भूमि कर प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, नियमानुसार वेच होगा।

समाप्त खतौनी सं०- 4 व 169

संख्या नम्बर 557अ/2-3-18, 564/0-3-10-0, 520/0-14-18-0, 557अ/3-3-19-0 बीघा भूमि अलखदीन सिंह व सूर्य निरंजन सिंह पुत्रगण चन्द्रमाल सिंह निवासी ग्राम के नाम वतौर भूमिघर ग्राम अधिलेखों में वर्ज है। अलखदीन सिंह व सूर्य निरंजन सिंह द्वारा पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत किया है। मांगकर्तागण उपरोक्त भूमि में अपना अपना 1/2 भाग बताया है। मांगकर्तागण अपने को भूमिघर बताया है और कहा है कि भूमि के चारों तरफ आवासीय सुविधाएँ उपलब्ध हो चुकी हैं। यह भी कहा गया है कि उनकी भूमि से 100 मीटर की दूरी पर लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग स्थित है और उसी के तुरन्त बाद उ०प्र० अवास एवं विकास धरिपद की पूर्ण विपरीत दिशा नगर आवासीय योजना है। भूमि के निकट बिजली, पानी, शैक्षिक संस्थाएँ जैसे राष्ट्रीय उद्योग, इण्टर कातेज, कंचनपुर मटियारी, राजकीय पालीटेक्निक, कुकरेल मनोरंजन वन एवं कई आवासीय सभित्तियों की भूमि बताया गयी है। भूमि के निकट कई व्यापारिक प्रतिष्ठान भी स्थित होने बताये गये हैं जैसे- हिन्दुरतान एरोनप्रैटक्स एवं उसकी एन्सिलवेरी फैक्ट्री, कृष्ण ट्रांसफरमर मोटर सेल्स फैक्ट्री, कोल्ड स्टोरेज अदि बताये गये हैं। मांगकर्तागणों द्वारा यह भी कहा गया है कि जीविका का एक मात्र साधन अर्जित की जा रही भूमि ही है। अन्य कोई साधन नहीं है। भूमि अर्जन से जीविका का साधन समाप्त हो जायेगा जो केवल प्रतिफल की घनरक्षि से न हो पायेगा। भूमि को अधिग्रहण करने का कोई अहित्य नहीं बताया है तथा साथ में यह भी कहा गया है कि भूमि को अधिग्रहण की सूचना अनियमित है। अन्त में आपत्तिकर्तागणों द्वारा यह कहा गया है कि यदि भूमि को अधिग्रहण करना नियमित व आवश्यक है तो उपरोक्त तथ्यों का समाक्षा करके कम से कम 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से प्रतिफल का प्रबंधन किया जाय। धारा-4 की प्रकाशन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत ब्याज दिया जाय। व्यवसाय परिवर्तन हेतु प्रतिफल की आधी घनरक्षि कब्जा लेने से पूर्व मांग की है, गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत सीवरेन्स हेतु

499/1-4-5,
अधिलेखों में वतौर
है कि उपरोक्त
विकसित कालोनियां
फूल, पोस्ट ऑफिस
। उस प्रकार भूमि
फुट की दर से,
नियमानुसार व 30
निकाय में नौकरी,
नकर की भी मांग
का प्रतिफल देय
जो कहा है उस
प्रतिफल नियमतः

अध्वज सिंह द्वारा
दित है जिसे हिन्दु
यह कि प्रार्थी
नहीं किया गया
के भुताधिक शंकर
पुत्रगण अध्वज
पना 1/4 हिस्सा
सके भाई देशराज
हितकर्ता रामनरेश
में सक्षम स्वरूप
क सिद्ध नहीं हो
निरस्त की जाती

प्रतिफल की मांग की है। खरीफ की सही फसल का प्रतिफल 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है, आपत्तिकर्ता गणों द्वारा यह भी मांग की गयी है कि ग्राम की आबादी के मध्य स्थित भूमि संख्या 564 अधिग्रहीत न की जाय। इस मूषण्ड पर भवन, शौचालय, पक्की नालें, बरही तथा जानवरों का छप्पर रख बताया है। उक्त मांगों की पूर्ति में आपत्तिकर्तागणों द्वारा कोई सबूत दक्षिण नहीं किया गया है। भूमि को मेरे स्तर से छोड़ा जाना सम्भव नहीं है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा मेरे द्वारा नहीं लिया गया है। अर्जेंट की जा रही भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा।

खाता खतोनी संख्या-5

खसरा नं० 520/1-9-0, 530/13-16-0, 531/2-6-1-0, 525/0-4-1-0 बीघा भूमि अलखदीन सिंह, निरंजन सिंह पुत्रगण चन्द्रमाल सिंह व पुत्रसिंह पुत्र रागरस सिंह व केसवती देवी विधवा पुत्रसिंह व शंभुनाथ सिंह पुत्र सारल साइब व कु० शुसीला पुत्री नारायण सिंह, व इकबाल बहादुर सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह व श्रीमती जगदेवी पत्नी चन्द्रमाल सिंह के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूषिघर दर्ज है। श्रीमती जगदेवी पत्नी चन्द्रमाल सिंह, अलखदीन सिंह, सूर्य निरंजन सिंह, शंभुनाथ सिंह, इकबाल बहादुर सिंह, शुसीला द्वारा पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि के संबंध में बही बार्ते कही गयी है जो उपरोक्त खाता नम्बर 4 व 169 में अलखदीन सिंह अधि दारा की गयी है। भूमि के प्रतिफल की मांग भी उक्त की भाँति की गयी है। पुत्र सिंह द्वारा पृथक रूप से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से, 15 प्रतिघात की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेभियम की मांग की गयी है। उपरोक्त मांगकर्तागणों में से इकबाल बहादुर सिंह द्वारा उक्त संबन्धित भूमि में अपना 1/8 भाग बताया है तथा यही हिस्सा शुसीला द्वारा भी बताया गया है। उपरोक्त मांगकर्तागणों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह हिस्से के अनुसार नियमतः देय होगा।

खाता खतोनी सं०- 6

खसरा नं०- 164/0-17-13 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में अशुतोष पुत्र सेवाराम निवासी हसनगंज, लखनऊ के नाम बतौर वर्ग-1 भूषिघर दर्ज है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र/आपत्ति पत्र दक्षिण नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं०-7

/- प्रति बीघा की दर
प की आवारी के मध्य
भवन, शौचालय, एककी
ष्टि में कर्पितकर्तागणों
छेदा जाना संभव नहीं
। नहीं लिया गया है।
थगा वह नियमानुसार

ससरा नं० 241/5-5-5 बीघा भूमि इकबाल बहादुर सिंघ पुत्र कुंवर बहादुर
सिंघ के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है । इकबाल बहादुर सिंघ द्वारा मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि भूमि गोमती नगर, चिनकट, फेजाबाद रोड व रेलवे स्टेशन
व एच०ए०ए०के के नजदीक है इसलिए भूमि का बाजार मूल्य 30/- प्रति वर्ग फुट बताया
है । इथापार पोरचार्जन के मव में भी प्रतिकर चाहा है, 5000/- प्रति बीघा फसल का नुकसान
मांगा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की भी मांग की है।
अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो
निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 8 व 171

-10, 525/0-4-10
सिंघ पुत्र रामरत्न सिंघ
) शुशीला पुत्री नारायण
की पत्नी चंद्रभाल सिंघ
पत्नी चन्द्रभाल सिंघ,
शुशीला द्वारा पृथक-
हैं जो उपरोक्त सतीनी
के प्रतिकर की मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए
दर से ब्याज व 30
तागणों में से इकबाल
व यही हिस्सा शुशीला
पुष्टि में कोई सक्ष्य
जायगा वह हिस्से के

ससरा नं० 593अ/0-0-3, 593ब/1-6-7 बीघा भूमि उमराव पुत्र धनदयाल
शा०वा० के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है । उमराव ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
करते हुए कहा है कि भूमि माकिक क्षमता से भरपूर है । भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग
फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर, 15 प्रतिशत ब्याज, 30 प्रतिशत
सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में उमराव द्वारा कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय
होगा ।

सतीनी सं० 9

ससरा नं० 641/1-8-15 बीघा भूमि कल्लू पुत्र कल्ला के नाम ग्राम अभिलेखों
में बतौर भूमिधर दर्ज है । कल्लू की मृत्यु हो चुकी है, प्रस्तुत सतीनी के अनुसार कल्लू के
बारिस खुशीयात, लल्लन व देवीदीन पुत्रगण कल्लू हैं । भूमि के प्रतिकर की मांग 15/-
प्रति वर्ग फुट की दर से की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दखिस्त किया है
भूमि का प्रतिकर नियमतः जो मेरे द्वारा निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार
ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

सतीनी सं० 16

अशुतोष पुत्र सेवाराव
द्वारे द्वारा कोई मांग
जो निर्धारित किया

ससरा नं० 430/5-11-18 बीघा भूमि कल्लू पुत्र राममरोसे नि० द्वारा पट्टी,
यहियागंज, लल्लनके के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है । भूमि का प्रतिकर
40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दखिस्त
किया गया है । भूमि का प्रतिकर मेरे द्वारा जो नियमतः निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

1-6-4, 656/1/1-
पुत्र गंगादीन के नाम
त किया गया है जिसमें
भूमि के पास रेलवे
लेकर 20/- प्रति वर्ग
त की दर से सोलेशियम
गया है । अपनी मांग
भूमि का प्रतिफल भेरे

छंगा निवासी जियामऊ,
बल किया है । प्रस्तुत
संघर्ष के दो लड़कियां
पेकुलाल व बेरीलाल हैं
छंगा द्वारा उक्त भूमि
अपने मामा के नाम
त नहीं किये गये हैं।
सर (रेवेन्यू), लखनऊ
धी है जिसमें दिनांक
गा द्वारा उक्त संदर्भित
प्रकार उक्त भूमि का

बेरीलाल व पेकुलाल
वर्ग है । सेरीलाल

व पेकुलाल द्वारा पृथक-पृथक आपत्ति/मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/-
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज, 30 प्रतिशत की दर
से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल भेरे द्वारा जो नियमतः निर्धारित किया जायगा,
वह उक्त कार्रवारों के हिसाब से अनुसार देय होगा ।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपत्ति पत्र मैकु पुत्र छंगा निवासी जियामऊ, परगना
व तहसील व जिला लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत आपत्ति पत्र में मैकु द्वारा
वही बातें कही गयीं हैं जो खता संख्या 17 व 200 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति
की विवेचना खाता सं० 17 व 200 पर की जा चुकी है ।

खता खतौनी सं० 20 व 205

सं० 6248/0-9-8, 6248/1-0-12 बीघा भूमि ग्राम अमिलेली में
गुलाब सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ग्राम वासी के नाम वतोर भूमिधर दर्ज है । गुलाब सिंह ने
आपत्ति पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन
की सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं, अपनी भूमि को कच्ची कीमती बताते हुए भूमि का प्रतिफल
15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत
की दर से सोलेशियम, व्यवसाय परिवर्तन हेतु हुई क्षति पूर्ति हेतु प्रतिफल की आधी धनराशि
की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का
प्रतिफल भेरे द्वारा जो नियमतः निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याज
व सोलेशियम भी देय होगा ।

खता खतौनी सं० 21 व 206

सं० 353/2-3-1-0, 353/0-8-15, 350/4-11-0, 405/2-10-0
बीघा भूमि गुणवत्ता पुत्र छेदा नि० नत्सववा के नाम ग्राम अमिलेली में खाता 21 भूमिधर व
खाता 206 सौदागर अंकित है । गुणवत्ता सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा
है कि भूमि के पास लखनऊ फैजाबाद रोड, रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार की सुविधाएँ उपलब्ध
हैं। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर
से न्याज व, 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । प्लॉट सं० 405 पर
पेड़ अंश 50, पेड़ क्लस्टर 25, शीशम 25, अमरुच 40, बबूल 10, बिलवल 3, नीम 6,

गुलर 2 तथा फरेंक 1 बताया है। करीफ की फसल का प्रतिफल भी 10,000/- मांग है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। फसल का प्रतिफल देना होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। पेट्टों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा जिसका उल्लेख फार्म नमूना-6 पर किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलैशियम भी देय होगा।

साता सतीनी सं० 22

ससरा नं० 650अ/0-0-6-0 बीघा भूमि गनेशी पुत्र घनश्याम के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया जाता है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा।

साता सतीनी सं० 23

ससरा नं० 259/2-13-1-0 बीघा भूमि गुरुचरन पुत्र नन्दा शांवा० के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। गुरुचरन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैशियम की मांग की है तथा व्यवसाय परिवर्तन के मद में 50 प्रतिशत की मांग की है और रु० 1,25,000/- पेट्टों का प्रतिफल भी मांगा है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। पेट्टों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा जिसका उल्लेख फार्म नमूना-6 पर किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 27 व 232

ससरा नं० 40अ/1-7-0, 40ब/0-18-5, 656ब/0-6-18-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में छोटा पुत्र भेकू के नाम अंकित है। छोटा द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय

खाता खतौनी सं० 28

7A

मी 10,000/- मांग
फसल का प्रतिफल देय
कच्चा के आधार पर
का प्रतिफल नियमतः
भी देय होगा।

खसरा नं० 336/0-10-15-0 बीघा भूमि देवा व रामा व राधे पुत्रगण
मेकू के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। रामा व राधे ने संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते
हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा छोटा दारा भूमि का
प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। इन लोगों द्वारा ब्याज व सोलेक्षियम
की मांग की गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया गया है। भूमि का प्रतिफल जो नियमतः निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा
तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेक्षियम भी देय होगा।

नरयाण के नाम ग्राम
जाना पाया जाना है।

खाता खतौनी सं० 31 अ 242

खसरा प्लाट नं० 247अ/0-0-16, 247ब/2-10-0, 519/3-15-0,
560स/0-1-2 बीघा भूमि छंगा व रामलाल पुत्रगण भगवानदीन के नाम ग्राम अभिलेखों

नरयाण ग्राम० के
प्रस्तुत करते हुए भूमि
मत की दर से ब्याज
परिवर्तन के मव में
कर भी मांगा है।
नकर कच्चा के आधार
का प्रतिफल नियमतः

में अंकित है। छंगा की मृत्यु हो गयी है। बरसत का सक्ष्य प्रस्तुत करते हुए बहादुर
पुत्र छंगा व रामलाल दारा भूमि का भावनिक समता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल
रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30
प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता खतौनी सं० 32

18-0 बीघा भूमि
का प्रतिफल 20/-
पूर्ण में कोई सक्ष्य
किया जायगा, देय

खसरा प्लाट नं० 551अ/0-2-1-0 बीघा भूमि छोटानी व किन्दा पुत्रगण मोहनलाल
ग्राम वाली के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। छोटानी दारा अपना 1/2 भाग बताते
हुए भूमि का प्रतिफल रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति
में कोई सक्ष्य नहीं दाखिल किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा,
देय होगा।

खाता खतौनी सं० 33

खसरा प्लाट नं० 188/0-5-0 बीघा भूमि पर जीवन कृष्ण पुत्र कुंवर कृष्ण
निवासी लालदास, लखनऊ के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग
पत्र प्रस्तुत किया जाना नहीं पाया जाता है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
जायगा, देय होगा।

ससरा प्लॉट नं० 167/1-2-0 वीस भूमि जगदीश नारायण पुत्र नानू निवासी बादशाह नगर, तखनऊ के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । जगदीश नारायण ने अपनी भूमि की भौतिक समता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सलौशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याय व सलौशियम भी देय होगा । जगदीश नारायण द्वारा आम के पेड़ों की तकड़ी कर प्रतिफल रु० 24,000/- मांगा है । इसी का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा, जिसका उल्लेख पर्य नमूना-6 पर किया गया है ।

ससरा प्लॉट नं० 374/0-3-0 बीपा - भूमि जगजीवन - सिंह पुत्र स्वामीसिंह के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है तथा इसी खाने पर अम्बरसिंह पुत्र रामदशन सिंह का नाम भी ग्राम अभिलेखों में अंकित है । जगजीवन सिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा अम्बर सिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । इन लोगों की दर न्याय व सलौशियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य दक्षिण नहीं किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह हिस्से के मुताबिक देय होगा ।

साता सतौनी सं० 36 व 254

ससरा प्लाट नं० 182अ/7-15-3, 182ब/0-15-1, 615/2-11-ए, 662/8-9-2 बीघा भूमि जगजीवन सिंह पुत्र स्वामी सिंह के नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर भूमिधर दर्ज है। जगजीवन सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि को गौमती नगर कान्हेनी से मिली हुई बताया है तथा आवागमन के साधन उपलब्ध बताये हैं। अपने मांग पत्र में यह कहा है कि गाटा संख्या 182 में निजी नलकूप इंजन जिसकी कीमत 28000/- एवं यूकैलपेटिस के 500 पेड़ों की कीमत लगभग 30000/- बताया है। भूमि का प्रतिफल रु० 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में उनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दलित किया गया है। पेड़ों का प्रतिफल कच्चा के आधार पर देय होगा। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

साता सतौनी सं० 38 व 255

ससरा प्लाट नं० 420/1-1-17-0, 602/1-13-8 बीघा भूमि टीकराम पुत्र छेदा के नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर अणी-२ सीरवार अंकित है। टीकराम अपनी भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधाएँ बताते हुए भूमि की बाजार कीमत रु० 30/- प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बतायी है। इस प्रकार इनके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम भी देय होगा। उपरोक्त साता नं० 38 की भूमि के संबंध में एक आपत्ति पत्र गया प्रसाद पुत्र लछिमन द्वारा दिनांक 17-12-85 को दलित की गयी है जिसमें गयाप्रसाद ने यह कहा है कि प्रार्थी भूमि पर कब्रिस्तान मालिक व कर्मिल है। सम्पूर्ण भूमि का प्रतिफल मांगा है। गया प्रसाद द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दलित किया है। ससम न्यायालय का स्थगन आदेश एक माह की अवधि के अंदर प्रस्तुत करने पर विचार किया जाना संभव होगा अन्यथा राजस्व अभिलेखों में अंकित कर्तव्यकार के प्रतिफल देय होगा।

उन पुत्र नान्दू निवासी शिव नारायण ने अपनी 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से सोलेशियम है। भूमि का प्रतिफल न्याज व सोलेशियम भी रु० 24,000/- उल्लेख फार्म नमूना-6

उ पुत्र स्वामीसिंह के अर्चना सिंह का नाम रु० 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। अपनी मांग की पूर्ति में निर्धारित किया

साता सतीनी सं० ३९

ससरा नम्बर 595/0-0-6 बीघा भूमि तुलसी पुत्र चन्द्रधाम के नाम ग्राम अधिलेखों में खेपी-2 खीरदार अंकित है। तुलसी द्वारा भूमि की कीमत के विषय में कोई मांग नहीं की गयी है। दिनांक 30-9-83 के धारणा पत्र द्वारा केवल कच्चा प्रमाण पत्र व अधिम प्रतिफल की मांग की है। इस संबंध में शपथ पत्र भी नहीं दायित किया है। इनकी भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा।

साता सतीनी सं० 40 व 267

ससरा प्लॉट नं० 193अ/0-12-2=0, 193अ/1-7=10-0, 609/0-19-19, 245/1192/0-3-7 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में दुर्गा कला सिंह पुत्र किरननाथ सिंह के नाम बतौर सीस्कार अंकित है। दुर्गा कला सिंह ने भूमि की भव्यतिक्रमसमता से भरपुर बताते हुए भूमि की कीमत रु० 20/- प्रति वर्ग फुट की वदनासे 35 प्रतिशत की दर से न्याज, 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है तथा व्यवसाय परिवर्तन के मद्द में प्रतिफल की जायी धनुरक्षा मांगी है एवं गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है। खरीफ की फसल का प्रतिफल 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है। उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सशय नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि को जर्बन से मुक्त करना भरेगस्तर से संभव नहीं है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा तथा न्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 41

ससरा प्लॉट सं० 606/0-9-6-0 बीघा भूमि पर देवी सिंह पुत्र किरननाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर अंकित है। भूमि पर अंकित है। देवी सिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल रु० 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से 12,660 वर्ग फुट भूमि का मुजालजा रु० 1,26,7600/- मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल रु० 17,3800/- व 30 प्रतिशत सोलेशियम के मद्द में रु० 43,194/- मांगा है। कुल प्रतिफल की धनराशि 1,87,196/- पर प्रथम वर्ष के लिये 9 प्रतिशत की दर से न्याज व उसके बाद 13 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है। उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सशय नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता खतौनी सं० ४२ व २७२

के नाम ग्राम अधिलेखों में कोई मांग नहीं है। प्रमाण पत्र व अग्रिम किया है। इनके भूमि

सबसरा प्लॉट नं० २५५अ/०-७-१-०, २५५ब/१-०-१-० बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में दुन्ना व रूपन पुत्रगण भागन का नाम अधिकृत है। उक्त प्लॉट का प्रतिफल पोखेलाल पुत्र रूपनदाम द्वारा ३०/- प्रति वर्ग फुट, २० प्रतिशत की दर से ब्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गई है तथा दुन्ना द्वारा भूमि का प्रतिफल रु० ३०/- प्रति वर्ग फुट की दर से व ब्याज व सोलेशियम की मांग उक्त की भीति की है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दलित किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

०-०, ६०९/०-१९-सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह शिक संमता से भरपुर ५ प्रतिशत की दर से सहाय परिवर्तन के मद में छोड़ने को कहा है।

खाता खतौनी सं० ४४

। उनके द्वारा अपनी जर्नल से भुक्त करना फसल का कच्चा नहीं होगा, नियमानुसार देय

सबसरा प्लॉट नं० ४५/१-१२-५-०, ३८६/१-१९-६-० बीघा भूमि पर शीमती नन्दी पत्नी लक्ष्मण दास निवासी मंगलखेड़ा जलमबाग, लखनऊ का नाम ग्राम अधिलेखों में अधिकृत है। श्रीमती नन्दी द्वारा भूमि का प्रतिफल ५०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा २० प्रतिशत की दर से ब्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ब्याज परिवर्तन में हुई सतिपूर्ति हेतु कुल प्रतिफल का १/२ भाग मांगा है तथा परिवार के सदस्यों को यथा उचित रोजगार व फसल का रूपया ९०,०००/- भी मांगा है। इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दलित किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। परिवार के सदस्यों के रोजगार के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ से सम्पर्क स्थापित करें। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा ब्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

सिंह पुत्र विश्वनाथ सिंह है। देवी सिंह द्वारा फुट भूमि का मुआवजा १७,५८०/- व ३० नरशि १,८७,१९४/- ५ प्रतिशत की दर से श्य नहीं प्रस्तुत किया होगा तथा नियमानुसार

खाता खतौनी सं० ४५ व २८०

सबसरा प्लॉट नं० २००/२-१४-४-०, ६६५/१-३-१९, ६६५ब/३-३-३ बीघा भूमि पर ननकजसिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में अधिकृत है। भूमि को भावीनक संमता से भरपुर बताने हुए भूमि का प्रतिफल रु० २०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा १५ प्रतिशत की दर से ब्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में उनके द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाना खतोनी सं० 49

ससरा प्लाट नं० 594अ/0-0-6 बीघा भूमि पर नन्दे पुत्र धनराम का न. ग्राम अभिलेखों में अंकित है। नन्दे द्वारा भूमि की कीमते के विषय में कोई मांग नहीं की गयी है। अपनी आप्रति में यह कहा है कि प्रार्थी उक्त भूमि का पूर्णतया मौलिक, फल व फलित है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, यह नियमानुसार दे होगा।

खाना खतोनी सं० 50 व 301

ससरा प्लाट नं० 181अ/1-12-5, 181अ/2-3-6-0 बीघा भूमि पर नत्वा पुत्र शिवदीन का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। नत्वा द्वारा भूमि का प्रतिकर ₹० 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाना खतोनी सं० 51

ससरा प्लाट नं० 169/0-13-0 बीघा भूमि पर नत्वा पुत्र शिवदीन व कीमती मङ्गराला विधवा कीटा व रुघन, कुन्ना पुत्रगण भागू के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित हैं। इन लोगों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाना खतोनी सं० 52

ससरा प्लाट नं० 262/2-3-0 बीघा भूमि पर नन्दे पुत्र नारायण व श्रीमती सरजूदेई पत्नी महावीर का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि को भावीनक समता से भरपूर बनाने हुए मांगा गया है तथा 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से ब्याज की भी मांग की गयी है। व्यवसाय परिवर्तन से हुई सति पूर्ति हेतु प्रतिकर की जाधी धनराशि मांगी गयी है, गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा गया है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि को छोड़ना भेरे हार से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिकर नियमतः

जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सेलेशियम भी देय होगा।

खाना खतौनी सं० 54 व 305

खसरा प्लॉट नं० 326अ/3-4-16, 327/1-0- ,326ब/0-12-8 बीघा भूमि पर प्यारे, रामगुलाम व जगन्नाथ पुत्रगण कन्वर्टेड का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सेलेशियम भी देय होगा ।

खाना खतौनी सं० 55

खसरा प्लॉट नं० 265/2-5-0-0 बीघा भूमि पर पुल्तू सिंह पुत्र रामरतन सिंह व केशवती विधवा पुल्तनूसिंह व शम्भुनाथ सिंह पुत्र लाल साहब, कुमारी शुशीला पुत्री नरायण सिंह व इकबाल बहादुर पुत्र कुंवर बहादुर सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । शम्भुनाथ सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के उत्तर पश्चिम में 100 मीटर की दूरी पर लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय मार्ग स्थित है और उसी के तुरन्त बाएं उत्तर प्रदेश जावास एवं विकास परिषद की पूर्ण विकसित इंदिरानगर आवासीय योजना उपलब्ध है तथा भूमि के पास बिजली, पानी, शैक्षिक संस्थायें एवं आवासीय संभितियां बताने हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की भी मांग की है । फसल का प्रतिफल 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है तथा गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को कहा है । इनके द्वारा उक्त भूमि पर अपना हिस्सा 1/3 भाग बताया गया है । इकबाल बहादुर सिंह व शुशीला ने अपना पृथक-पृथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि की स्थिति के संबंध में बही बातें कही हैं जो ऊपर शम्भुनाथ सिंह द्वारा कही गयी हैं । इकबाल बहादुर सिंह व शुशीला ने खाना सं० 55 के बाग बताया है तथा विभिन्न प्रकार के 100 पेड़ तगे हुए बताये गये हैं । इकबाल बहादुर सिंह द्वारा व शुशीला द्वारा उक्त भूमि में अपना-अपना हिस्सा 1/6 भाग बताया है । इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल उक्त प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा ब्याज सेलेशियम की भी मांग की है । उपरोक्त सभी मांगकर्ताओं द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि को छोड़ा जाना मेरे हित से संभव नहीं है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का फल नहीं लिया

पुत्र घनश्याम का नाम में कोई मांग नदी की पूर्णतया मालिक, कविज वर नियमानुसार देय

बीघा भूमि पर नस्था का प्रतिफल रु० 20/- ब्याज व 30 प्रतिशत ट में इनके द्वारा कोई निर्धारित किया जायगा,

व शिवदीन व श्रीमती लेखों में अंकित हैं । प्रतिफल नियमतः जो

व नरायण व श्रीमती ई प्रतिफल 30/- प्रति मा गया है तथा 30 भी मांग की गयी है गयी है, गृह निर्माण के साक्ष्य नहीं प्रस्तुत प्रतिफल नियमतः

गंगा है। भूमि का प्रतिफल नियमन जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार हिस्से के आधार पर देय होगा तथा न्याय व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

खाना नौतानी सं० 56

खसरा प्लॉट नं० 244/1-1-11 बीघा भूमि पर श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी रामेन्द्र सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। इनके द्वारा भूमि का प्रतिफल 12/- प्रति वर्ग फुट की दर से, 15 प्रतिघात की दर से न्याय व 30 प्रतिघात की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। व्यापार परिवर्तन के मत में ₹० 50,000/-, परिवार के अधिष्ठानों को अध्यापित निकाय में नौकरी व फसल व पेड़ों के प्रतिफल की भी मांग की गयी है। इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में विकास प्रीपकरण से सम्पर्क करें। भूमि का प्रतिफल नियमन जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशियम भी देय होगा।

खाना नौतानी सं० 57

खसरा प्लॉट नं० 280/1-8-6-0, 277/0-14-10 बीघा भूमि पर श्रीमती पद्मावती पत्नी रामनरेश सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। श्रीमती पद्मावती द्वारा रामनरेश सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास इन्दिरानगर एवं गोमती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कलोनियां हैं जहाँ पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा स्कूल, पो० ऑफिस आदि की सुविधा तथा रेलवे स्टेशन व पिकनिक स्पॉट भी बताये हैं। इस प्रकार भूमि की भावनिक क्षमता से भरपूर बताते हुए भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिघात अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिघात की दर से न्याय नियमानुसार, 30 प्रतिघात की दर से सोलेशियम की भी मांग की है तथा परिवार के व्यक्ति को अध्यापित निकाय में नौकरी व व्यापार परिवर्तन के मत में 50,000/- मांगा है। पेड़ों का प्रतिफल भी मांगा है। बक सं० 277 में पशुशाला, मीठर, मकान आदि स्थित बताये हैं तथा उस नम्बर को गजट से बाहर करने को भी कहा है। अपनी उमत मांगों के संबंध में श्रीमती पद्मावती द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। नौकरी के संबंध में विकास प्रीपकरण, लखनऊ

नियमानुसार तिरसे के

से सम्पर्क करें । भूमि को धेरे स्तर से छोड़ा जाना संभव नहीं है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतौनी सं० ६०

पुष्पा देवी पत्नी राजेन्द्र भूमि का प्रतिफल 12/- त की दर से सोलेशियम (-, परिवार के सदस्यों ने मांग की गयी है । गया है । फसल का करी के संबंध में विकास त किया जायगा, देय

ससरा नम्बर 251/1-1-0 बीघा भूमि पर श्रीमती पद्मावती पुत्री जाकुर प्रसाद ग्राम वासी के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । श्रीमती पद्मावती द्वारा भूमि के प्रतिफल के संबंध में यही बातें कही हैं जो उपरोक्त खाना नं० 57 में कही हैं । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतौनी सं० ६१ व 322

ध्या भूमि पर श्रीमती अंकित है । श्रीमती कदा है कि भूमि के हैं जहां पर बिजली, की सुविधा तथा रेलवे तक क्षमता से भरपूर है तथा 12 प्रतिशत ल नियमानुसार, 30 त को अध्याप्त निकाय पेड़ों का प्रतिफल भी बताये हैं तथा इस के संबंध में श्रीमती प्रतिफल देय न होगा प्र प्राधिकरण, तत्पश्चात्

ससरा प्लॉट नं० 293अ/5-14-3, 293ब/1-2-9-0 बीघा भूमि पर पुन्तूसिंह पुत्र रामरतन सिंह व श्रीमती केशमती देवी विधवा पुन्तूसिंह आ०बा० के नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । पुन्तूसिंह व केशमती द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतौनी सं० ६३

ससरा प्लॉट नं० 625/1-8-13 बीघा भूमि पर फूल सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । भूमि का प्रतिफल फूल सिंह द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने को भी कहा है । भूमि का छोड़ा जाना धेरे स्तर से संभव नहीं है । अपनी उचित मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतौनी सं० ६४

ससरा प्लॉट नं० 638अ/0-14-13 बीघा भूमि पर खन्वन पुत्र चसीरे ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । खन्वन द्वारा भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की

दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

साता सतीनी सं० 66 व 337

ससरा प्लॉट नं० 16ज/0-8-10, 16ब/2-17-2, 324/5-0-16 बीघा भूमि पर विश्राम पुत्र भरोसे का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । विश्राम द्वारा उक्त दो सातों की भूमि के लिये संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है । अपने मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा । ससरा प्लॉट नं० 16 का कुल रकबा 3-6-0 बीघा है परन्तु अस्तित्व व नोटीफिकेशन रकबा 3-5-15 है । इस प्रकार ससरा नं० 16 का प्रतिफल 3-5-15 बीघा भूमि का ही देय होगा ।

साता सतीनी सं० 67 व 339

ससरा प्लॉट नं० 659अ/0-2-15, 654/7-2-14, 544/0-11-0, 545 0-16-0, 659स/0-16-0 बीघा भूमि पर बातादीन पुत्र मेहर्ष का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । बातादीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास शिवरा नगर एवं शीवती नगर व संजय नगर जैसी विकसित कस्बानियां हैं जहां पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा बैंक, स्कूल, पाठशाला आदि की सुविधाये उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिशत ब्याज नियमानुसार, 30 प्रतिशत सोलेशियम नियमानुसार व परिवार के व्यक्ति को अध्यापित निष्कस्य में नौकरी तथा व्यापार परिवर्तन के हिसाब से रु० 50,000/- की मांग की है । उनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । नौकरी के संबंध में अध्यापित निष्कस्य लक्ष्मण विकास प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित करें । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

साता सतीनी सं० 70

ससरा प्लॉट नं० 566/0-2-10, 423/13-1-17 बीघा भूमि पर श्रीवती बिट्टी कुंवर मन्नी जगदेवीसिंह निवासी बाहरगांव परगना - मडोना, तहसील - मलिहाबाद,

कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
देय होगा ।

जिला लखनऊ का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । श्रीमती विद्दी कुंवर द्वारा भूमि का
प्रतिकर रु० 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । मांग पत्र के साथ बतौनी
पत्र 1386 से 1391 भी प्रस्तुत की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं
दखिल किया है ।

324/5-0-18 वीधा
विश्राम द्वारा उक्त दोनों
मांग पत्र द्वारा भूमि का
से व्याज व सोलेशियम
कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
देय होगा । सरसरा
टीफइड रकबा 3-5-15
देय होगा ।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपतित श्रीमती सम्पतादेवी पत्नी स्व० शिवदुलारे
सिंह द्वारा दखिल किया गया है जिसके द्वारा उन्होंने कहा है कि अर्जित की जा रही भूमि
13-4-7 वीधा में 4 वीधा भूमि पर पुरा कब्जा 20 वर्षों से चला आ रहा है और कहा
है कि भूमिधारी ठक धरिसत हो गये हैं । इस प्रकार 4 वीधा का प्रतिकर दिया जाय ।
शेष भूमि के प्रतिकर के संबंध में कहा है कि वह श्रीमती विद्दी कुंवर को दिया जाय ।
श्रीमती सम्पता देवी द्वारा भी भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग
है तथा व्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है । श्रीमती सम्पता देवी द्वारा अपनी
आपतित की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । केवल एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया
है जो साक्ष्य के रूप में सहायक सिद्ध नहीं होता है । सक्षम न्यायालय का स्थानन अदेश
एक माह के अन्दर प्रस्तुत करने पर प्रतिकर दिये जाने के संबंध में अधिम कार्यवाही की
जायेगी अन्यथा राजस्व अधिलेखों में अंकित कर्तकारों को प्रतिकर का भुगतान नियमानुसार
कर दिया जायेगा ।

44/0-11-0, 545/
ग नाम ग्राम अधिलेखों
है कि भूमि के पास
है जहाँ पर बिजली,
रस जादि की सुविधयों
से मांगा है तथा 12
त व्याज नियमानुसार,
त विक्रय में नोकरी
। इनके द्वारा अपनी
के संबंध में अध्यापित
प्रतिकर नियमतः जो
देय होगा ।

भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा तथा व्याज
व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा ।

स्वाता बतौनी सं० 74

सरसरा प्लाट नं० 24/0-14-16, 349/0-11-0, 354/1-7-19, 374/
0-10-0, 376/1-7-0 वीधा भूमि पर भगवानवीर पुत्र बोलान रा०वा० का नाम बतौर
श्रेणी-1 भूमिधार अंकित है । भगवानदीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का
प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व
30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इनके द्वारा
कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा,
देय होगा तथा नियमानुसार व्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

II भूमि पर श्रीमती
हसील - मल्लहाबाद,

माता सतोनी सं० 75

ससरा प्लॉट नं० 257/2-5-0 बीघा भूमि पर श्रीमती मातमती सिंह परमा फ्लाइंग लेफ्टीनेंट एस०के० सिंह निवासी डी०-10, विवेकानन्द पुरी, लखनऊ का नाम ग्राम जमिलेखों में अंकित है । श्रीमती आनमती द्वारा कोई मांग पत्र दायित्व नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतोनी सं० 76

ससरा प्लॉट नं० 607/1-13-8-0 बीघा भूमि पर मिस्सारी व रामलखार पुनगण कलकत्ता 30 बा० का नाम ग्राम जमिलेखों में अंकित है । संयुक्त मांग पत्र दिनांक 20-8-85 द्वारा मिस्सारी व रामलखार ने भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । यह भी कहा है कि व्यवसाय परिवर्तन के मद में ₹० 50,000/- व नौकरी भी दी जाये । उक्त मांगों की ग्रीड में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है । नौकरी के संबंध में अध्यापित निवृत्त लखनऊ विकास प्राधिकरण I से सम्पर्क स्थापित किया जाय । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतोनी सं० 77 व 361

ससरा प्लॉट नं० 3933/1-15-17, 10/3-12-19, 3933/2-3-8 बीघा भूमि पर भरोसे पुत्र रिवाल का नाम बतौर श्रेणी-1 भूमिधर ग्राम जमिलेखों में दर्ज है । भरोसे द्वारा उक्त दोनों सारों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । व्यवसाय परिवर्तन के मद में प्रतिफल की उत्पत्ति घनरक्षा की मांग की है । अपनी मांग की ग्रीड में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

माता सतोनी सं० 81

ससरा प्लॉट नं० 75/0-9-0 बीघा भूमि पर महीपति सिंह पुत्र चौधक सिंह का नाम ग्राम जमिलेखों में अंकित है । महीपति सिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल ₹० 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा सोलेशियम व

ब्याज की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाना खतौनी सं० ४६ व ३७३

ससरा नं० ४६।अ/३-१९-७, ४८६/४-३-७-०, ४५७/१-१५-०, ४६।ध/३-१३-५, ८०/०-३-१९ बीघा भूमि पर मेकूलाल पुत्र गयादीन का नाम बतौर भूमिधर व खाता ३७३ बतौर सीरदार ग्राम अमिलेखों में अंकित है । मेकूलाल ने उक्त दोनों खातों के प्रथक-प्रथक रूप से मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि लखनऊ पैजाबाव रोड के समीप स्थित है तथा पास में रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार इत्यादि की सुविधा उपलब्ध है । भूमि का प्रतिफल २४/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा १५ प्रतिशत की दर से ब्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । खरीफ की फसल की कीमत रु० १०,०००/- मांगा है तथा पेहों का भी प्रतिफल चाहता है । भूमि संख्या ८० को अर्जन से मुक्त करने के संबंध में कहा है और यह भी कहा है कि ससरा नम्बर ८० की भूमि पर मेरे निवास स्थान का अंग है तथा सामाजिक कार्य में भी जाती है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि को अर्जन से मुक्त करना मेरे हित से सम्भव नहीं है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो मेरे द्वारा निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमा-नुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

उक्त भूमि के संबंध में एक आपत्ति पत्र मेकू पुत्र छंगा निवासी ग्राम जियामऊ, परगना व तहसील व जिला, लखनऊ ने प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि पर १/२ भाग उजरदार का है तथा १/२ भाग मेकू का बताया है । मेकू पुत्र छंगा द्वारा प्रस्तुत की गयी आपत्ति का उत्तर खाना खतौनी सं० १७ पर किया जा चुका है । उसी भूखति इस खाते की भूमि के संबंध में भी पढ़ा जाय ।

खाना खतौनी सं० १४

ससरा नं० ५८/०-१३-१७ बीघा भूमि पर मोहन लाल पुत्र सरजू का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है । मोहन लाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल ३०/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा २० प्रतिशत की दर से ब्याज व ३० प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि

श्री भानमती सिंह पत्नी लखनऊ का नाम ग्राम ल नहीं किया गया है ।

श्री व रामअधर मुजगण पत्र दिनांक २०-८-६५ की दर से मांग है सोलेशियम की मांग की ०००/- व नौकरी भी है । नौकरी के संबंध क्या जाय । भूमि का

३९३अ/२-३-८ बीघा अमिलेखों में दर्ज है । भूमि का प्रतिफल ३०/- व ३० प्रतिशत की दर से प्रतिफल की जायी है प्रस्तुत किया है ।

सिंह पुत्र बोंदका सिंह मांग पत्र प्रस्तुत करते है तथा सोलेशियम व

में कोई साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ततया नियमानुसार न्याय व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता सतोनी सं० 95

संसदा प्लॉट नं० 29/2-6-7-0 बीघा भूमि पर मैकलाल पुत्र बाबूलाल का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। मैकलाल पुत्र बाबूलाल निवासी गोपलपुर मन्दा मोहवामऊ, परिमला व तहसील नवाशरण, बाराबंकी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि प्रार्थी की भूमि काफी उपजाऊ है जिसमें मौजूदा समय में खरीफ की फसल बोयी हुई है जिसकी कीमत रु० 10,000/- प्रति बीघा बतायी है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अथवा मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता सतोनी सं० 101

संसदा प्लॉट नं० 496/1-11-3-0 बीघा भूमि पर रामहेतु पुत्र उमराव ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है। रामहेतु ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि प्रार्थी की भूमि गोमती नगर से मिली हुई है। प्रार्थी की भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधाये उपलब्ध हैं जिस कारण उसकी भूमि काफी कीमती है। भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग भी की है अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता सतोनी सं० 106

संसदा प्लॉट नं० 338/2-9-13-0 बीघा, 560स/0-1-2-0 बीघा भूमि पर रामपाल पुत्र भगवानदीन ग्राम वासी का नाम बतौर भूमिधर ग्राम अभिलेखों में दर्ज है। रामपाल द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में कहा गया है कि भूमि काफी उपजाऊ है, मौजूदा समय पर खरीफ की फसल बोयी हुई है जिसकी कीमत रु० 10,000/- प्रति बीघा बतायी है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर

निर्धारित किया जायगा,

से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 107

खसरा प्लॉट नं० 89/2-4-9-0, 352/3-0-18-0, 395/3-11-4-0

बीघा भूमि पर राम जियावन पुत्र छेदा राम कसी क नाम राम अभिलेखों में अंकित है । राम जियावन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी उपजाऊ है, खसरा नं० 89 पर बताया है कि एक पक्कड़ कुर्मी 20 x 20 फुट का एक पक्कड़ कमरा जिसमें चक्की लगी हुई है । कनेक्शन मेरे भाई रामनाथ के नाम है । एक पेड़ आम तथा कलस्टर पेड़ 10 बताये हैं । इस प्लॉट की 10 बिस्वा भूमि को अर्जन से मुक्त करने को कहा है । भूमि को लखनऊ फैजाबाद रोड के समीप बताया है तथा रेलवे स्टेशन, पाठशाला व बाजार जीवि जमीन के पास बताया है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दक्षिप्त किया है । भूमि को मेरे रत्तर से छोड़ा जाना संभव नहीं है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कब्जा नहीं लिखा गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाना खतोनी सं० 108

खसरा प्लॉट नं० 96/3-14-16, 329/1-10-5-0, 352/0-14-17

बीघा भूमि पर रामनाथ पुत्र छेदा निवन्सी लखवा का नाम राम अभिलेखों में अंकित है । रामनाथ ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि की स्थिति के बारे में कही बातें कही हैं जो ऊपर राम जियावन द्वारा खाना नं० 107 में कही हैं । भूमि का प्रतिफल भी उसी दर से मांगा है परन्तु इनके द्वारा भी अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं दक्षिप्त किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

राज पुत्र बाबूलाल क
तपुर मजरा मोहवामऊ,
करते हुए यह कहा है
कि फसल बोयी हुई है
प्रतिफल 20/- प्रति
30 प्रतिशत की दर
सह नहीं दक्षिप्त किया
लिया गया है । भूमि

तु पुत्र उमराव राम
गपना मांग पत्र प्रस्तुत
। प्राणी की भूमि के
। जिस कारण उसकी
दर से मांगा है तथा
की मांग भी की है
का प्रतिफल नियमतः

1-2-0 बीघा भूमि
अभिलेखों में दर्ज है।
है, मौजूदा समय
ते बीघा बताया है।
5 प्रतिशत की दर

आता सतीनी सं० 109

ससरा प्लॉट नं० 74/1-16-0, 400/1-9-5-0 बीघा भूमि राम जियावन व रामनाथ पुत्रगण छेदा तियासी तखत का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। राम जियावन व रामनाथ द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी लपकाऊ है। प्लॉट नं० 74 में बांग बतया है जिसमें विभिन्न प्रकार के 200 पैदा, आवासीय भवन, शंकर जी का मन्दिर तथा 4 पक्की कच्चे जो वर्ष 1960 से बनी हुई बतया है। इस प्रकार इस भूखण्ड को छोड़ने के लिये कहा है तथा ससरा नं० 400 पर 19 पैदा जम के बतये है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की प्रुष्ट में कोई सत्य नहीं दर्शाया है। भूमि का छोड़ा जाना मेरे हित से सम्बन्ध नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

आता सतीनी सं० 110

ससरा प्लॉट नं० 527/1-4-1 बीघा भूमि पर रामकली पत्नी स्वयंवर सिंह ग्राम वाली का नाम राम अभिलेखों में अंकित है। श्रीमती जगदेई पत्नी चन्द्रमाल सिंह ने उक्त प्लॉट नं० के विषय में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि श्रीमती रामकली पत्नी स्वयंवर सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी सम्पत्ति की वसीयत किशोरी के नाम थी जिसके उक्ति सारिज के आदेश श्रीमान एस०डी०ओ०, किनांक 12-10-72 में यह भूमि संख्या छूट गयी थी जिसके लिये अब प्रकरण श्रीमान एस०डी०ओ० लखनऊ की अदातत में विचाराधीन बतया है। श्रीमती जगदेई द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है, 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांगों के संबंध में कोई सत्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह श्रीमती जगदेई पत्नी चन्द्रमाल सिंह को उसी दशा में देय होगा जब वह अपने नाम का इन्क्वाय सतीनी प्रस्तुत करेगी।

आता सतीनी सं० 112

ससरा प्लॉट नं० 538/0-0-13-0 बीघा भूमि पर रामदयाल पुत्र हीरालाल प्रा०वा० का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है। कोई मांग पत्र/अपत्ति पत्र नहीं दर्शाया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खसरा खतोनी सं० 113

खसरा प्लॉट नं० 289अ/1-5-7-0 बीघा भूमि पर राजेश्वरी उपनाम लक्ष्मी पुत्री जगदेव सिंह के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है। उक्त खसरा प्लॉट नं० के संबंध में रामकली पत्नी बाबूसिंह ने आपत्ति की है कि खसरा प्लॉट नम्बर 289अ/1-5-7-0 बीघा भूमि श्रीमती राजेश्वरी उपनाम लक्ष्मी पुत्री जगदेव सिंह निवासी ग्राम भरवारा, लखनऊ से रिकॉर्ड 18-11-74 को जोरिये रजिस्टर्ड बनाया मु० 1500/- में खरीदा है। इस संबंध में सक्ष्य स्वल्प वैनामा की फोटो स्टेट खरी व खतोनी भी दखिल की है। प्रस्तुत खतोनी में यह अवेज है कि आदेशानुसार शीघ्रान ना०त०, चिन्कट मु०नं० 615/तौ०फै० 18-7-85 खता सं० 113 से खसरा नं० 289अ रकबा 1-5-7-0 बीघा द्वारा 60 स के अनुसार विक्रेता श्रीमती राजेश्वरी उर्फ लक्ष्मी पुत्री जगदेव सिंह निवासी भरवारा का नाम खरिज करके फ्रेत श्रीमती रामकली पत्नी बाबूसिंह निवासी भरवारा का नाम बतौर भूमिधर सं० दर्ज हो। रामकली द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का पतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खता खतोनी सं० 114

खसरा प्लॉट नम्बर 474अ/1-7-18-0 बीघा भूमि रमा पुत्र मेकू निवासी लखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर अंकित है। रमा पुत्र मेकू ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि काफी उपजाऊ है जिसमें मौजूदा समय में खरीफ की फसल बोई है जिसकी कीमतत रु० 10,000/- प्रति बीघा है। भूमि को लखनऊ फेजाबाद रोड के समीप स्थित बनाया है तथा कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, पाठशाला व बाजार आदि की सुविधा है। भूमि का मूल्य 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं दखिल किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खता खतोनी सं० 115

खसरा प्लॉट नं० 319अ/2-6-11-0 बीघा भूमि पर राधेलाल पुत्र मेकू नि० लखवा का नाम बतौर भूमिधर ग्राम अभिलेखों में अंकित है। राधेलाल द्वारा भूमि के प्रतिकर

बीघा भूमि राम जिधावन अंकित है। राम जिधावन भूमि काफी उपजाऊ है। फेह, आवासीय भवन, हुई बनाया है। इस 00 पर 15 फेह आम गा है तथा 15 प्रतिशत की है। अपनी मांग ना मेरे स्तर से संभव गा।

श्री पत्नी स्वयंवर सिंह पत्नी चन्द्रभाल सिंह ने है कि श्रीमती रामकली त कियली के नाम थी 10-72 में यह भूमि लखनऊ की अवगत में 1/- प्रति वर्ग फुट की की दर से सोलेशियम प्रुत किया है। भूमि पत्नी चन्द्रभाल सिंह करेगी।

मवयाल पुत्र हीरालाल तित पत्र नहीं दखिल गा, वह नियमानुसार

के संबंध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । केवल अग्रिम प्रतिफल प्राप्त करने हेतु प्राथमिक पत्र व अग्रिम पत्र प्रस्तुत किया है । इनके भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 1-18

ससरा प्लॉट नं० 613/1-10-1-0, 614/0-7-12 बीघा भूमि पर रामनरेश सिंह पुत्र अम्बर सिंह ग्राम वासी का नाम अंकित है । रामनरेश सिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि भूमि के पास इन्दिरा नगर एवं भीमती नगर, संजय नगर जैसी विकसित कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर बिजली, पानी, यातायात के साधन उपलब्ध हैं तथा बैंक, स्कूल, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन आदि की भी सुविधाएँ उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 25% प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेरियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं क्लिप्त किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 120 व 472

ससरा प्लॉट नम्बर 627अ/1-14-12-0, 627ब/1-0-0 बीघा भूमि पर रामेश्वर सिंह पुत्र गुरुदत्त सिंह छाया का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-1 भूमिधर अंकित है । रामेश्वर सिंह द्वारा उपरोक्त दोनों खातों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि कृषि उपजाऊ है तथा कृषि/भवन दोनों के लिए अत्यन्त उपयोगी है । भूमि को गोमती नगर से घिनी हुई बताया है । भूमि के पास बाजार एवं आवास हेतु जावागमन के सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध बताते हुए भूमि का मूल्य 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेरियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 124 व 474

ससरा प्लॉट नं० 202/2-11-5, 664अ/3-1-1, 664ब/2-11-1 बीघा भूमि पर राजू सिंह पुत्र मुनेश्वर सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर सीरदार/भूमिधर अंकित है । उक्त दोनों खातों के संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए राजू सिंह

प्रतिकर प्राप्त करने हेतु
प्रतिकर नियमतः निर्धारित

क्षीपा भूमि पर रामनरेश
द्वारा अपना मांग पत्र
यं गोमती नगर, संजय
के साथन उपलब्ध है

0-0 क्षीपा भूमि पर
बतौर श्रेणी-1 भूमिधर
पत्र प्रस्तुत करते हुए
अत्यन्त उपयोगी है।
जवाब हेतु आवागमन
फुट की दर से मांग
सोलेशियम की भी मांग
है। भूमि का प्रतिकर

66&2-11-1 क्षीपा
केन्द्र में बतौर सीरसर/
पुन करने हुए रजिस्ट्रार

ने मांग की है कि भूमि के अत्यन्त निकट में चारों तरफ कालोनियों, व्यापारिक एवं राजकीय
प्रतिष्ठान, शैक्षिक संस्थाएँ स्थित हैं तथा नगीचे में ही पीथिया की महानतम कालोनी इन्दर
नगर व हिन्दुस्तान परोनाटिक्स फैक्ट्री भी धतताया है। भूमि को विकसित जवासीय भूमि
बताते हुए रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिकर तथा 15 प्रतिशत की
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की
पुष्टि में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

सतत सतोनी सं० 128

सतरा प्लॉट नं० 106/3-6-16 क्षीपा भूमि पर रघुनाथ, हीरालाल, सियाराम
व रामलखन पुत्रगण नोबे या०वा० का नाम ग्राम श्रीभिलो में बतौर श्रेणी-1 भूमिधर अंकित
है। उक्त सतरा नम्बर के संबंध में सियाराम पुत्र हुबनाल ने अपने प्रार्थना पत्र द्वारा यह
सूचित किया है कि प्रार्थी की उक्त प्लॉट में 1/2 भाग का हिस्सा है, 1/2 भाग में रघुनाथ,
हीरालाल व रामलखन का बताया है। इस संबंध में सियाराम ने एक शपथ पत्र व बैनामा
की फोटो कापी मी देखिस की है। शपथ पत्र में यह कहा है कि प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि
का आपा हिस्सा रघुनाथ, हीरालाल पुत्रगण जुगती व रामलखन पुत्र नोबे निवासी भरधारा
को बेचा था। प्रस्तुत बैनामे से यह ज्ञात होता है कि सियाराम व सीताराम दो भाई हैं
जिसमें से सियाराम ने उक्त प्लॉट का 1/2 भाग उपरोक्त व्यक्तियों के हक में बेच दिया
है। शपथ पत्र में सियाराम ने यह कहा है कि शपथी को यह हिस्सा अपने भाई सीताराम
की मृत्यु के बाद उसका वारिस होने के नाते मिला है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकला
गया कि सियाराम ने उक्त प्लॉट का 1/2 भाग जो उसके हिस्से में था, उसको उक्त व्यक्तियों
के हक में बेच दिया है और 1/2 भाग जो उसके भाई सीताराम के हिस्से में था, उसकी
मृत्यु के बाद वारिस होने के नाते मिला है, का ही प्रतिकर सियाराम मांग रहे हैं। विलियत
के संबंध में संशोधित सतोनी प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार यह पाया गया है कि रघुनाथ
व हीरालाल की अन्वयित जुगती है, रामलखन की नोबे है तथा सियाराम की हुबनाल है।
सियातम द्वारा भूमि का प्रतिकर 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20
प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी
मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
किया जायगा वह उक्त काश्तकारों में हिस्से के अनुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 130

सबसरा प्लाट नं० 8/1-9-0 बीघा भूमि पर रामकुंवर पुत्र शिवदयाल तख्ता का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । रामकुंवर द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर हुए मांग की है कि भूमि काफी उपजाऊ है । भूमि पर विभिन्न प्रकार के पेड़ बंताये भूमि को लखनऊ फैजाबाद रोड के समीप स्थित बनाया है तथा रेलवे स्टेशन, पाठशा बजार आदि की सुविधायें उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलैरिज की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सब्य नही प्रस्तुत किया है । भूमि प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 131

सबसरा प्लाट नं० 47/0-16-0, 345/1-18-3, 396/1-9-10 की भूमि पर रामसुचित व रामनरेश व प्रेमचंद व सुरेश पुत्रगण सन्तराम शर्म वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । उक्त व्यक्तियों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 135 व 509

सबसरा प्लाट नं० 196/0-18-16, 195/0-18-17 बीघा भूमि पर घनीराम रामचंद्र व रामलखन पुत्रगण लोचन राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है उपरोक्त दोनों खतों का संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि फैजाबाद लखनऊ रोड बिनहट कस्बा, पच0प0पल0 तथा राम सागर मिश्र कालोनी के निकट है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलैरियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग के संबंध में कोई सब्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जाएगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलैरियम भी देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 137

सबसरा प्लाट नं० 19/4-15-3-0, 328/4-15-0, 416/9-8-5 बीघा भूमि पर शिवदयाल पुत्र दुर्गा नि० रा० तख्ता का नाम ग्राम अधिलेखों में खतों भूमिधर अंकित है । शिवदयाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि पार्सी की

शुंवर पुत्र शैवदयाल नि०
 मा मांग पत्र प्रस्तुत करतते
 प्रकार के पेड़ बताये हैं।
 रेलवे स्टेशन, पाठशाला,
 10/- प्रति वर्ग फुट की
 त की दर से सोलेशियम
 त किया है। भूमि का

भूमि काफी उपजाऊ है। भूमि नं० 19 पर द्यूबखेत बताया है तथा 328 में। आम
 का, 12 शीशम पेड़ जगे बताया है। नलकूप व उसके पास लगभग 8 बिस्वा भूमि व
 पक्का बना कमरा जर्जन से युक्त करने हेतु कहा है। अपनी भूमि को फैजाबाद-लखनऊ रोड
 के समीप बताते हुए कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, पाठशाला, बाजार आदि की
 सुविधाएँ उपलब्ध हैं। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है।
 अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि को छोड़ा जाना मेरे हित
 से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा
 तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा।

खाता सतैनी सं० 139

396/1-9-10 बीघा
 मा ग्राम खारी का नाम
 प्रस्तुत नहीं किया गया

ससरा प्लाट नं० 260/3-4-6, 489/13-4-11 बीघा भूमि पर शम्भूनाथ
 सिंह पुत्र लालसाहब साधवा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर दर्ज है। शम्भूनाथ
 सिंह द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करतते हुए मांग की गई है कि भूमि के चारों तरफ आवासीय
 सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार भूमि आवासीय उद्देश्य की भूमि हो गयी है। भूमि
 को लखनऊ फैजाबाद रोड के नजदीक बताया है तथा यह कहा है कि पास ही में उ०प्र०
 आवास विकासपरिषद की पूर्ण विकसित रीरिटा नगर आवासीय योजना है। उनके द्वारा भूमि
 का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। 15 प्रतिशत की दर से ब्याज
 व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में
 शम्भूनाथ सिंह द्वारा कोई सहाय नहीं दक्षिण किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः
 जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाता सतैनी सं० 142

बीघा भूमि पर धनीराम,
 भलेखों में अंकित है।
 8 भूमि फैजाबाद लखनऊ
 निकट है। भूमि का
 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से
 तथा नियमानुसार ब्याज

ससरा प्लाट नं० 17/3-3-5-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रीपाल पुत्र
 ईश्वरदीन नि० तसवा का नाम अंकित है। श्रीपाल की मृत्यु हो चुकी है। रामबहादुर पुत्र
 श्रीपाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। रामबहादुर द्वारा बरासत का सहाय इंतखाब
 सतैनी भी प्रस्तुत की गयी है। रामबहादुर द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट
 की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से
 सोलेशियम की भी मांग की गयी है तथा धान की फसल व 80 एक लख मांगा है।

416/9-8-5 बीघा
 खेती में बतौर भूमिधर
 की है कि प्रार्थी की

अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियम जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

उपरोक्त भूमि के संबंध में गैदासलाल, रामलखन, राम उजागर द्वारा एक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है जिसमें शंकरा खानदान दिया गया है। शंकरों के अनुसार श्रीपाल, माता प्रसाद, गैदासलाल पुत्रगण ईश्वरदीन सगे भाई हैं। श्रीपाल व माताप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है। श्रीपाल का वारिस उनका पुत्र रामबहादुर व माता प्रसाद के वारिस राम लाल व रामउजागर उनके लड़के हुए। आपरित पत्र में कहा गया है कि ईश्वरदीन ने अपने जीवन काल में भूमि संख्या 17 रकबा 3-3-6 बीघा खरीदा था। उस समय ईश्वरदीन का एक पुत्र श्रीपाल बालिश था तथा माता प्रसाद व गैदासलाल नाबालिश थे। उस काल ईश्वरदीन ने उक्त भूमि को श्रीपाल के नाम रजिस्टर्ड बनाया करा दिया था। ईश्वरदीन के मरने के उपरान्त स्व० माताप्रसाद के लड़के रामलखन व राम उजागर तथा गैदासलाल बरामलखनर त्रिस्ते के कब्रिजे रहे और आज भी हैं। ईश्वरदीन के मरने के उपरान्त आंगरी बंटवा 1/3 भाग के अनुसार हो गया था जिसके अनुसार सभी लोग कब्रिजे हैं। आपरितकसंगिण द्वारा की गयी उक्त आपरित के संबंध में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। सहाय प्रस्तुत करने की दशा में ही प्रतिफल दिया जाना संभव होगा।

साता सत्तौनी सं० 143

खसरा प्लॉट नं० 276/0-15-0 बीघा भूमि पर श्रीमती सिंह, पत्नी शंकर लाल सिंह, ग्रामवासी का नाम राजल अमितेल्सों में अंकित है। श्रीमती सिंह ने अपनी मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि ईदारा नगर एवं गोमती नगर, संबलपुर नगर जैज विफसित कलेोनियों के पास है। भूमि के पास रेलवे स्टेशन, बिजली, पानी, यातायात साधन उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग है। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल, 15 प्रतिशत की दर से म्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 145 व 541

खसरा प्लॉट नं० 596अ/0-4-5, 596ब/0-14-0-0 बीघा भूमि पर सीताराम नोमीनाल, राजाराम, विशेषर, साडेबदीन पुत्रगण डेल्लीबाज प्रायश्वासी का नाम ग्राम अमितेल्सों

भूमि का प्रतिफल नियमतः

बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । उक्त भूमि के संबंध में उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांग की है कि भूमि लखनऊ फैजाबाद रोड के समीप है तथा भूमि का एच0एच0एल0 व रामसागर मिश्र नगर कालोनी के नजदीक बताते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा व्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार मांगा है । अपनी उक्त मांगों की पूर्ति में कोई साक्ष्य इन लोगों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

उज्जगर द्वारा एक संयुक्त शंकरों के अनुसार श्रीपाल लाल व माताप्रसाद की मृत प्रसाद के वारिस राम लाल ने कि ईश्वरदीन ने अपनी

जाता पत्तौनी सं0 146 व 546

। उस समय ईश्वरदीन का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । उपरोक्त अंकित कागदकारों द्वारा प्रस्तुत दोनों पत्तों की भूमि के संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दाखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

ससरा प्लाट नं0 262/3-10-9, 283/1-4-12, 206अ/0-12-1, 287/2-6-13, 286ब/2-11-0 वीधा भूमि पर सूर्य मोहन सिंह, हरिषा चन्द्र सिंह बालिंग, राजेश चंद्र सिंह ना0वा0 आयु 14 वर्ष पुत्रगण शंकर वसंत सिंह संरक्षिका श्रीमती रीति जागर तथा गैदासा बराबर प्रसाद दोनों पत्तों की भूमि के संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दाखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

श्रीमती सिंह, पत्नी शंकर श्रीमती सिंह ने अपनी मांग

जाता पत्तौनी सं0 147 व 548

नगर, संजय नगर जैसी पत्ती, पत्नी, यातायात के प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा जाय व 30 प्रतिशत की दर से कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत होगा ।

ससरा प्लाट नं0 588अ/7-14-4, 590/1-12-0, 317/1-10-0, 571/0-5-0, 572/0-8-10, 580ब/0-2-0 वीधा भूमि पर सूर्य मोहन सिंह, हरिषा चन्द्र सिंह बालिंग व विजय बहादुर सिंह ना0वा0 आयु 15 वर्ष पुत्रगण शंकर वसंत सिंह संरक्षिका श्रीमती सिंह [माता] व रामनरेश सिंह व महाराजबहा सिंह पुत्रगण अश्वर, सिंह व राकेश सिंह, दिनेश सिंह नावा0 आयु 17 वर्ष पुत्रगण राजेन्द्र सिंह संरक्षिका श्रीमती पुष्पा देवी [माता] शंवा0 का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । सूर्य मोहन सिंह ने उक्त दोनों पत्तों के संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/4 का तिहाई हिस्सा की मांग की है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है, रामनरेश, महाराज वसंत सिंह, हरिषा चन्द्र सिंह, राकेश सिंह द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल

कीया भूमि पर सीताराम का नाम ग्राम अभिलेखों

नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

40/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । रामनरेश सिंह द्वारा एक पृथक रूप से पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा उन्होंने भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट दर से मांगा है । उपरोक्त सभी व्यक्तियों द्वारा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिफल की की गयी है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम भी मांग की गयी है । उन लोगों द्वारा अपनी मांग की पृष्ठ में कोई साक्ष्य नहीं दिया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायेगा, वह हिस्से के देय होगा ।

साता जलौनी सं० 149 व 549

बसरा प्लॉट नं० 610अ/0-18-1, 610अ/1-2-17 बीघा भूमि पर लाल व छोटे लाल पुत्रगण मैक का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर/सीरदार है । छोटे लाल व सुन्दर लाल द्वारा उपरोक्त दोनों खतों की भूमि के संबंध में संयुक्त पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि कोमती नगर से मिली हुई है । फर्की सद्क तक गयी हुई है । भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन के साधन उपलब्ध हैं, भूमि को काफी कीमती बताते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । मांग की पृष्ठ में कोई साक्ष्य उन लोगों द्वारा नहीं दिया गया है । भूमि का प्रतिफल जो निर्धारित किया जायेगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता जलौनी सं० 150 व 550

बसरा नं० 637अ/0-14-3, 637अ/3-2-18 बीघा भूमि पर सुबदेव पुत्र भावनाथ सिंह ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर व सीरदार है । सुबदेव सिंह ने उपरोक्त दोनों खतों के संबंध में अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास व्यापार एवं आवास हेतु आवागमन की सम्पूर्ण सुविधाएँ उपलब्ध हैं, भूमि को काफी कीमती बताते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । मांग की पृष्ठ में कोई साक्ष्य नहीं दक्षित किया है । भूमि का प्रतिफल जो निर्धारित किया जायेगा, देय होगा ।

रा एक पृथक रूप से मांग

आता स्वतन्त्री सं० 151

25/- प्रति वर्ग फुट

अतिरिक्त प्रतिफल की मांग

की दर से सोलेशियम

में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत

गया, वह डिसे के अनुसार

ससरा प्लॉट नं० 5543/0-5-13 पर सन् पुत्र भवानी का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । सन् टारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

आता स्वतन्त्री सं० 154

17 बीघा भूमि पर सुन्दर

भूमिधर/सीरदार अंकित

के संबंध में संयुक्त मांग

की पुष्टि में कोई सहाय नहीं

प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल

नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह

नियमानुसार देय होगा ।

ससरा नं० 191/1-15-12, 294/2-12-12 बीघा भूमि पर श्रीमती सेना देवी पत्नी शिव कुमार सिंह नि० धरवी, जिला-सीतापुर का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । श्रीमती सेना देवी के वकील श्री प्रताप सिंह द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें 50,000/- प्रति बीघा की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा है । इनके द्वारा मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

आता स्वतन्त्री सं० 155

गया है तथा 20 प्रतिशत

मांग की गयी है । अपनी

भूमि का प्रतिफल नियमतः

जो निर्धारित किया जायगा वह

नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लॉट नं० 359/4-11-10 बीघा भूमि पर सलिक पुत्र हुबलाल यादव का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है । उक्त खाता नम्बर के संबंध में राम लुचित यादव पुत्र सुतराम द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि सलिक पुत्र हुबलाल मुझे वसीयत कर गये हैं, बताते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । उक्त आपत्ति के संबंध में श्री कमला पुत्री भगवानदीन व श्रीमती गुन्ना ने अपनी आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें शजर खानदान दिखाया गया है जिसके अनुसार हुबलाल के दो लड़के भगवानदीन व सलिक थे । भगवानदीन व सलिक की मृत्यु हो गयी । शजर के मुताबिक सलिक के मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कोई श्रेय नहीं थी । भगवानदीन के 5 लड़कियाँ धारा, औतारा, जशोवा, कमला व गुन्ना हैं । कमला व गुन्ना द्वारा अपनी आपत्ति में कहा गया है कि प्रार्थिनी के चाचा सलिक का देहान्त हो चुका है । उनका कोई भी विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थिनी एवं उनकी बहनों को छोड़कर अस्तित्व में नहीं है । शजर के मुताबिक 1/5 भाग की विधिक उत्तराधिकारी बताते हुए भूमि का प्रतिफल बाजार भाव से मांगा है तथा 25 प्रतिशत की दर से सोलेशियम का भुगतान की भी मांग की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं दिया गया है और न ही भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई सहाय प्रस्तुत किया गया है अतएव भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार भूमि का स्वतंत्रता का सहाय प्रस्तुत करने पर देय होगा ।

साता सतीनी सं० 156

सभरा प्लाट नं० 199/2-9-11 बीघा भूमि पर हरिश चन्द्र सिंह पुत्र नरेश सिंह व उगा पुत्र बुलाकी ग्राम वाली का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर है। हरिश चन्द्र सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 40/- वर्ग फुट की दर से मांगा है।

उगा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से न्याय की मांग की है। उक्त प्लाट नं० की 1/2 भाग भूमि के संबंध में ज्ञान रामनारायण, सत्सा व सुनीलाल द्वारा संयुक्त ज्ञापित प्रस्तुत की गयी है जिसमें यह कहा है कि सत्सा नं० 199/2-9-11 का 1/2 भाग उगा पुत्र बुलाकी से सरीदा है जिसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। रजिस्ट्रार का मापता न्यायालय तहसीलदार के विधायी है। रजिस्ट्री की फोटो कापी दस्तखत की गयी है, जिसके अनुसार संवर्धित भू का 1/2 भाग उगा पुत्र बुलाकी द्वारा बेचा गया है। भूमि का प्रतिफल उसी व्था में खपित कर्ताओं को देय होगा जब वह अपने नाम रजिस्ट्रार करकर इत्तलाव सतीनी प्रस्तुत करेंगे। 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल हरिश चन्द्र सिंह पुत्र शंकर नरेश सिंह को नियमत जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

साता सतीनी सं० 158 व 588

सभरा प्लाट नं० 185अ/2-0-11, 419/4-2-18, 185अ/0-17-1 बीघा भूमि पर हीगूसिंह, मानूसिंह, हरिजोम सिंह व शिववीर सिंह पुत्रगण बालूसिंह यादव का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर भूमिधर / सीरवार अंकित है। हीगूसिंह, मानूसिंह हरिचन्वर सिंह व शिववीर सिंह ने प्रथक-प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। मानूसिंह द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा अन्य लोगों द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा है। इन लोगों द्वारा अपना बराबर-बराबर 1/4 भाग का हिस्सा बताया है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमत जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा।

खाता सत्तौनी सं० 164, 383, 384 व 583

हरिदा चन्द्र सिंह पुत्र शंकर
लेखी में बनौर भूमिधर द
भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति
भूमि का प्रतिफल 30/
सोलेशियम व 20 प्रतिश
भूमि के संबंध में जानकी
गयी है जिसमें यह क
त्र जुलाही से खरीदा है
व्याज तहसीलदार के यह
नसके अनुसार संबंधित भूमि
कर उसी दशा में आपत्ति
व इन्तखाम सत्तौनी प्रस्तु
र जम्मा सिंह को नियमतः

खसरा प्लॉट नं० 323/2-2-17, 372/0-16-0, 414/1-12-0 बीघा
भूमि ग्राम अभिलेखों में अमृतलाल पुत्र वैजू के नाम खसरा नं० 373/0-11-0 बीघा भूमि
महादीन, होली, अमृतलाल पुत्रगण वैजू के नाम, खसरा नं० 33/1-6-15 बीघा भूमि
महादीन पुत्र वैजू के नाम व खसरा नं० 493/1-10-15 बीघा भूमि होली पुत्र वैजू के
नाम ग्राम अभिलेखों में उल्लिखित है । उक्त कारतकारों द्वारा प्रत्येक-प्रत्येक भाग पर प्रस्तुत किये
गये हैं । महादीन द्वारा खसरा नं० 33 के पूरे भाग का व खसरा नं० 373 का 1/3
भाग के प्रतिफल की मांग करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा
है । अमृतलाल द्वारा खसरा नं० 323, 372, 414, 373 के 1/3 भाग के संबंध
में भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । होली द्वारा खसरा नं०
493 के पूर्ण भाग व 373 के 1/3 भाग के प्रतिफल की मांग 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से की गयी है । उपरोक्त मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी
है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है ।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार हिस्से के प्रतिफल
देय होगा ।

खाता सत्तौनी सं० 165

18, 1854/0-17-13
पुत्रगण दाखीसिंह का
। हीर्गोसिंह, भानूसिंह,
प्रस्तुत किया है । भानु
रा 30/- प्रति वर्ग फुट
कराकर-बराबर 1/4 भाग
। कोई सहाय नहीं प्रस्तुत
गा वह नियमानुसार हिस्से

खसरा प्लॉट नं० 295/4-16-9 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में जहापरिसाल पुत्र
सोलहे के नाम उल्लिखित है । जहापरिसाल द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर
से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है ।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज
व सोलेशियम भी देय होगा ।

खाता सत्तौनी सं० 168

प्रस्तुत
हिस्से

खसरा प्लॉट नं० 157/1-15-10 बीघा भूमि श्रीमती अंगाना विधवा भगवन्त नि० चिनहट
का नाम ग्राम अभिलेखों में उल्लिखित है । अंगाना ने अपना मांग पर प्रस्तुत करते हुए कहा
है कि भूमि प्राथमिक समता से मरपूर है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की
दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम

की भी मांग की है। अपनी मांग की फीट में इनके द्वारा कोई सक्षय नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 173

ससरा प्लाट नं० 527/2-19-9 बीघा भूमि पर जोसान पुत्र दूधर का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है। जोसान ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास उबिरा नगर एवं गोमती नगर एवं संजय नगर जैसी विकसित कालोनियां बने हैं। भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति इर्न फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत जीर्ण प्रतिकर एवं 15 प्रतिशत न्याज व 50 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की भी मांग की अपनी मांग की फीट में कोई सक्षय नहीं दक्षित किया है। भूमि का प्रतिकर नियम जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 174

ससरा प्लाट नं० 273/0-5-1 बीघा भूमि पर जोसान, राममिलन पुत्र सीताराम या०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में सत्तौर सीरदार अंकित है। जोसान व राममिलन द्वारा भूमि के प्रतिकर के संबंध में कोई मांग नहीं की गयी है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 177

ससरा नं० 388/2-12-13 बीघा भूमि पर किशोरी पुत्र परागी या०वा० नाम ग्राम अभिलेखों में सत्तौर डेण्टि-2 सीरदार अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा तथा न्याज व सेलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 178, 456 व 457

ससरा प्लाट नं० 69/1-9-2, 98/0-9-16 ग्राम अभिलेखों में सियाराम पुत्र नन्हा निवासी जुगौर का नाम ससरा नं० 105/1-8-11, 443/2-1-15 पर श्रीमती गंगाजली व फूलमती पुत्रीगण रामसेलावन नि० लखवा का नाम, ससरा नं० 360/1-1-1 बीघा पर श्रीमती गंगाजली व फूलमती पुत्रीगण रामसेलावन व सियाराम पुत्र नन्हा का नाम

वेई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया, वह नियमानुसार देय होगा।

ओसवन पुत्र दूबर का नाम प्रस्तुत करते हुए कहा है कि पी विकसित फालोनियां बताई तया 12 प्रतिशत जीविक शायम की भी मांग की है। भूमि का प्रतिफल नियमतः

ओसान, रामभिलन पुत्रगण है। ओसान व रामभिलन भूमि का प्रतिफल नियमतः

रामभिलन पुत्रगण का नाम प्रस्तुत या जायगा वह नियमानुसार

र ओसलेखों में सियाराम 43/2-1-15 पर श्रीमती लसरा नं० 360/1-1-0 पाराम पुत्र लका का नाम

ग्राम अधिलेखों में बतौर सीरवार अंकित है। लसरा नं० 69, 98 के पूर्ण भाग व लसरा नं० 360 के 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल सियाराम द्वारा 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। लसरा नं० 105, 443, 360 के 1/2 भाग के प्रतिफल की मांग श्रीमती गंगानली व फूलमती द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। उपरोक्त मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की प्रुष्ट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

लसरा नं० 105 के संबंध में रामलाल पुत्र इजारी नि० ग्राम जियामऊ ने आपरित प्रस्तुत की है कि लसरा नं० 105 रकबा 1-8-11 बीघा स्थित मौजा भरखारा, परगना व तहसील व जिला- लखनऊ को रामखेलावन पुत्र मेहई निवासी तखवा भरखारा परगना व तहसील व जिला- लखनऊ से मु० 2500/- में दिनांक 6-7-1962 को खरीदा था। रामखेलावन ने उसकी रजिस्ट्रीशुदा बेनामा पार्टी के हक में किया था। इस संबंध में रामलाल ने बेनामा की फोटोस्टेट कापी व शपथ पत्र भी दक्षित किया है। रामलाल द्वारा अपने नाम की उद्धरण सतोनी प्रस्तुत करें तभी उनके उक्त लसरा नम्बर का प्रतिफल दिया जाना संभव होगा।

साता सतोनी सं० 181

लसरा प्लाट नं० 36/3-6-19, 406/2-15-15 बीघा भूमि पर बेजनाथ, रामपाल वयस्क व कशीनाथ अवयस्क गापु 12 वर्ष पुत्रगण ईश्वरदीन सं० श्रीमती जशोदा निवासी तखवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर ग्रेपी-2 सीरदार अंकित है। बेजनाथ, रामपाल व कशीनाथ अवयस्क की तरफ से उनकी माता जशोदा ने मांग पत्र प्रथक-प्रथक प्रस्तुत करती हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की प्रुष्ट में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतोनी सं० 183

लसरा प्लाट नं० 628/1-5- बीघा भूमि पर कन्दर्ब पुत्र ग्यादीन गा०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों में अंकित है। उक्त भूमि के संबंध में परशुराम ने अपना मांग

पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि कन्हई की मृ-यु हो गयी है। इस संबंध में उद्धरण खतों में प्रस्तुत किया है। परशुराम द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा नियमानुसार न्याय व सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खता सतीनी सं० 185

ससरा प्लाट नं० 107/2-2-4 बीघा भूमि पर कुंवर बहादुर सिंह पुत्र महती सिंह के नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरकार अंकित है। कुंवर बहादुर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के निष्कट बिजली, पानी, स्वतः जाचि की सुविधाएं बताने हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खता सतीनी सं० 186

ससरा प्लाट नं० 586/0-14-13-0 बीघा भूमि पर कन्हई पुत्र केवल ग्रा-वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरकार अंकित है। कन्हई ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खता सतीनी सं० 187

ससरा प्लाट नं० 259/0-18-17 बीघा भूमि पर श्रीमती केलाशा विद्या बरिका ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरकार अंकित है। श्रीमती केलाशा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

इस संबंध में उद्धरण खतौनी
वर्ग फुट की दर से तथा
मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य
न्यायालय, वह नियमानुसार

खतौनी सं० 189

ससरा प्लॉट नं० 367/0-12-13-0 बीघा भूमि पर किशोरी व राधसहाय
पुत्र परागी व शत्रुघ्न पुत्र श्यामलाल निवासी तलवा साठदेठ का नाम ग्राम अभिलेखों में
बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । किशोरी आदि द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया
गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय
होगा ।

र वडापुर सिंह पुत्र महावीर
। कुंवर बहादुर ने अपना
नी, स्कूल आवि की सुविधा
मांगा है तथा 15 प्रतिशत
की है । अपनी मांग की
नियमतः जो निर्धारित किया

खतौनी सं० 190

ससरा नं० 427/0-16-9-0 बीघा भूमि पर कल्लू पुत्र भरोसे का नाम ग्राम
अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । नीलकंठ पुत्र कल्लू भरा मांग पत्र प्रस्तुत
किया गया है । कल्लू की मृत्यु हो गयी है जिनका वारिस प्रस्तुत खतौनी के अनुसार नीलकंठ
है । नीलकंठ ने अपनी भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है
तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की
है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

र कन्हई पुत्र केवल ग्राम
। कन्हई ने अपना मांग
दर से मांगा है तथा 15
भी मांग की है । अपनी
कर नियमतः जो निर्धारित

खतौनी सं० 192

ससरा प्लॉट नं० 240/1-12-18-0, 209/1-10-9-0 बीघा भूमि पर
कल्लू पुत्र जगन रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में अंकित है । कल्लू ने भूमि का प्रतिफल
30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत
की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय
होगा ।

नी कैलाशा विपवा ठरिका
त है । श्रीमती कैलाशा
त वर्ग फुट की दर से
दर से सोलेशियम की भी
। है । भूमि का प्रतिफल

खतौनी सं० 194

ससरा प्लॉट नं० 52/2-8-11-0 बीघा ग्राम अभिलेखों में कल्लू, हनुमान
पुत्रगण हुबलात निवासी तलवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित-
है । कल्लू व हनुमान ने संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति
वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर

सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है।
मृमि का प्रतिफल नियमन: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार डिस्से के मुता
देय होगा।

खाता सतौनी सं० 196

ससरा प्लॉट नं० 2/0-15-0, 23स/0-14-0 बीघा मृमि पर मु० के
बका औदार का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। मु० केदार
अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मृमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मा
है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग
है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। मृमि का प्रतिफल नियम
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतौनी सं० 197

ससरा प्लॉट नं० 429स/1-8-13 बीघा मृमि कस्तू पुत्र जेरी ग्राम वासी
नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। कस्तू ने अपना मांग पत्र प्र
करते हुए मृमि का प्रतिफल रुपया 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रति
की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मा
की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। मृमि का प्रतिफल नियमानुसार जो निर्धारि
किया जायगा वह देय होगा।

खाता सतौनी सं० 198

ससरा प्लॉट नं० 592/0-5-0, 634/0-18-14 बीघा मृमि पर क-
व सोहनताल पुत्रगण रघुबर बयाल ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी
सीरदार अंकित है। कन्दर्प व सोहनताल ने प्रथक प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत कि
हैं जिसमें इन लोगों द्वारा मृमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा ग
है तथा 18 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मा
की है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित किया गया
मृमि का प्रतिफल नियमन: जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 202

हय नहीं प्रस्तुत किया है
यमानुसार डिस्के के मुताबिक

ससरा प्लाट नं० 456/6-5-10-0 बीघा भूमि पर सरगी पुत्र दुर्गा ग्राम
जासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सरगी ने अपना मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमा-
नुसार न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं
प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

बीघा भूमि पर मु० कैलाश
अंकित है । मु० कैलाश ने

साता सत्तौनी सं० 203

वर्ग फुट की दर से मांगा
से सोलेशियम की मांग की
भूमि का प्रतिफल नियमतः

ससरा प्लाट नं० 451/0-16-16-0 बीघा भूमि पर सरगी व छबीले पुत्रगण
दुर्गा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सरगी व छबीले द्वारा
संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर
से मांगा है तथा 18 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की
मांग की गयी है । अपनी मांग की-पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

पुत्र जेरी ग्राम जासी के
ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत

साता सत्तौनी सं० 209

मांगा है तथा 20 प्रतिशत
मांग की है । अपनी मांग
नियमानुसार जो निर्धारित

ससरा प्लाट नं० 650ब/1-14-0 बीघा भूमि पर गनेशी पुत्र पनश्याम सा०
सा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी- 2 सीरदार अंकित है । गनेशी ने अपना मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य
नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह
देय होगा ।

बीघा भूमि पर कन्हई
अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2

साता सत्तौनी सं० 210

ना मांग पत्र प्रस्तुत किया
ट की दर से मांगा गया
र से सोलेशियम की मांग
ही वासित किया गया है।

ससरा प्लाट नं० 560स/0-1-2-0 बीघा भूमि पर गनेशी, नुलसी, नन्हा
व उमराम पुत्रगण पनश्याम का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
इन लोगों द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 217

ससरा प्लॉट नं० 38/0-9-2-0 बीघा भूमि पर गया प्रसाद पुत्र ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गया प्रसाद कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 218

ससरा प्लॉट नं० 449/2-4-5-0, 458/0-13-15, 483/1-18 बीघा भूमि पर गंगादीन, मातादीन पुत्रगण रामचरण ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गंगादीन व मातादीन द्वारा प्रत्येक प्रत्येक मांग पत्र किये गये हैं । गंगादीन द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से माता प्रसाद द्वारा 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी की फुट में इन लोगों द्वारा कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल निय जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 220

ससरा प्लॉट नं० 13/2-8-15, 39/1-1-10 बीघा भूमि गया प्रसाद, नन्दे, लंगा, मायाराम पुत्रगण महावीर निवासी तलवा साठदेठ का नाम ग्राम अधिलेखों बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । उक्त लोगों द्वारा कोई मांग पत्र / आपत्ति नहीं की गयी है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

साता सतीनी सं० 223

ससरा प्लॉट नं० 436/0-19-10, 658/0-14-5 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखों में गनेसी पुत्र गंगू का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गंगू की मृत्यु हो चुकी है । उनके वरिष्ठ बेटे व छोटेताल उक्त भूमि में 1/2 भाग बराबर बराबर हिस्सा बताया है । प्रस्तुत मांग पत्र में भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की फुट में कोई सक्ष्य नहीं दखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक बरा का सक्ष्य प्रस्तुत करने पर देय होगा ।

सखतीनी सं० 224

र गया प्रसाद पुत्र लक्ष्मण
अंकित है । गया प्रसाद वाराणसी
नियमतः जो निर्धारित किया
13-15, 483/1-18-1-
का नाम ग्राम अमिलेखों
प्रथम प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत
वर्ग फुट की दर से

ससरा प्लाट नं० 322/5-9-12-0, 469/3-5-2-0 बीघा भूमि पर गया
व, वासुदेव, राम सागर, अशोक कुमार नाबालक संरक्षिका श्रीमती कस्तुरी प्रभाता पुत्रगण
नाथ व रामदास, रामपाल व रामफल पुत्रगण भगवानदीन नि० ग्राम का नाम ग्राम अमिलेखों
बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । गयाप्रसाद, वासुदेव, राम सागर, अशोक कुमार
नाथ, रामदास, रामपाल ने अपना प्रथक प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज से
प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की
में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित
जायगा, देय होगा ।

सखतीनी सं० 225

का नाम ग्राम अमिलेखों में
प्रथक प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत
वर्ग फुट की दर से
की गयी है । अपनी मांग
। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो
। भूमि गया प्रसाद, नन्दा,
का नाम ग्राम अमिलेखों में
पत्र / आपरित नहीं प्रस्तुत
। वह देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 197/1-2-13, 272/1-16-6 बीघा भूमि पर चुन्नु पुत्र
का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चुन्नु ने अपना मांग
प्रस्तुत करने हुए भूमि का प्रतिफल रु० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ।
की मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं दखिल किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो
निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

सखतीनी सं० 227

बीघा भूमि ग्राम अमिलेखों
सीरदार अंकित है । गनेशी
मि में 1/2 भाग यरावर-
रु० 30/- प्रति वर्ग फुट
प्रतिशत की दर से सोलेशियम
दखिल किया है । भूमि
हिससे के मुताबिक बराबर

ससरा प्लाट नं० 71/1-19-12-0, 73/0-5-0, 369/1-3-0, 403/
1-10, 409/6-0-19 बीघा भूमि पर चुरई पुत्र प्रेडई निवासी लखवा मजरा भरवारा
नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चुरई ने अपना मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत
की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है । चुरई का
प्रतिफल रु० 2,00,000-00 मांगा है । चुरई द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय
प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह
मानुसार देय होगा ।

आता खतोनी सं० 228

खसरा प्लॉट नं० 523/1-12-1 बीघा भूमि पर चंकी पुत्र मिहारी प्र का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । चंकी ने अपना प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल ₹० 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत प्रति वर्ग फुट की दर से सोलेशियम मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा ।

आता खतोनी सं० 229

खसरा प्लॉट नं० 59870-3-7 बीघा भूमि कुनीलाल पुत्र हुसूलाल ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । यनीराम पुत्र कुनीलाल इ पुत्र प्रस्तुत किया गया है । कुनीलाल की मृत्यु हो गयी है । यनीराम उनका क यनीराम द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है । 20 की दर से ब्याज की व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गय अपनी मांग पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियम निर्धारित किया जायगा वद नियमानुसार देय होगा ।

आता खतोनी सं० 233

खसरा प्लॉट नं० 452/4-15-15, 463/1-5-9 बीघा भूमि प पुत्र दुर्गा निवासी तलवा साठदेह का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार है । छबीले ने अपना मांग प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग दर से मांगा है । नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा वह देय होगा ।

उक्त आते के संबंध में एक आपतित रामसिंह उद्दि द्वारा प्रस्तुत की जिसके द्वारा यह कहा गया है कि भूमि पर 14 वर्षों से अपने कब्जे में तथा उ कार्य करवाते रहे हैं । छबीले पुत्र दुर्गा से उपरोक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है । 3 कर्तव्यों द्वारा कोई साक्ष्य अपनी आपतित की पूर्ति में प्रस्तुत नहीं किया गया है अतएव निरस्त की जाती है ।

साता सतीनी सं० 244

ससरा प्लॉट नं० 179/3-10-18 बीघा भूमि पर छडीले व कन्हई पुनः हरदयाल या०या० का नाम ग्राम अमिलेसी में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। कन्हई की हो चुकी है। साक्ष्य में सतीनी प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार कन्हई मृतक के पर रमेश कुमार ना०वा० आयु 12 वर्ष संरक्षक माता रामकली स्वयं पुत्र कन्हई लाल वासी का नाम बतौर वारिस दर्ज है। छडीले द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग की दर से तथा कन्हई द्वारा 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा कन्हई की मृत्यु के बाद उनके वारिस रमेश कुमार संरक्षक माता रामकली द्वारा पुनः का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। उक्त दोनों मांगकर्ताओं का न्याय व सेलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

साता सतीनी सं० 247

ससरा प्लॉट नं० 353/0-17-11, 389/1-7-6 बीघा भूमि पर जे राम पुत्र दुर्गा का नाम ग्राम अमिलेसी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। जे जे की मृत्यु हो गयी है। उनके वारिसों द्वारा साक्ष्य उद्धरण सतीनी प्रस्तुत की गयी है जिसे अनुसार जे जे राम के वारिस महादेव प्रसाद, रामसागर व गोकुन्द प्रसाद पुत्रगण जे राम नि० लखवा हैं। इन लोगों द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें का मूल्य 1/3 हिस्सा बताते हुए 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की मांग की गयी अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य इन लोगों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, हिस्से के मुताबिक देय होगा।

साता सतीनी सं० 252

ससरा प्लॉट नं० 429/1-9-0 बीघा भूमि पर जोधा पुत्र मधुरा राम का नाम ग्राम अमिलेसी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। जोधा ने अपना मांग प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रति की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सेलेशियम की मांग की है। अपनी मांग पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित जायगा, देय होगा।

ता सत्तौनी सं० 261

पर इबीले व कन्हई पुत्र
अंकित है। कन्हई की
अनुसार कन्हई मृतक के
कली स्वयं पुत्र कन्हई त्त
प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग
से भूमि का प्रतिकर मांगा
माता रामकली द्वारा पुनः
। उक्त दोनों मांगकर्ताओं
की पुष्टि में कोई साक्ष्य
वापसगा, वह देय होगा।

ससरा नं० 546/0-8-0, 547/0-15-0 बीया भूमि पर तुलसी सिंह, रामदेव
पुत्रगण नरपति सिंह व लखपत सिंह पुत्र सीतलीसिंह व महन्त सिंह व जगदीश सिंह
गण राम दुलारे सिंह ग्रामवासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार ग्राम अधिलेखों में अंकित
। तुलसी व रामदेव सिंह की मृत्यु हो चुकी है। रसिन सिंह पुत्र रामदेव सिंह ने भूमि
प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से, महन्त सिंह, जगदीश सिंह, रामसनेही सिंह
रामदेव सिंह, लखपत सिंह द्वारा भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा
हा है तथा न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में मांगकर्ता
द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः निर्धारित
के अनुसार देय होगा। तुलसी सिंह व रामदेव सिंह की वरसत होने के उपरान्त ही
के वरिसों को भूमि का प्रतिकर हिस्से के अनुसार दिया जायगा।

ता सत्तौनी सं० 262

7-6 बीया भूमि पर जे
रवार अंकित है। जे जे
तौनी प्रस्तुत की गयी है जि
गोविन्द प्रसाद पुत्रगण जे
तुन किया गया है जिसमें
दर से मांगा गया है।
शयम की मांग की गयी है
तुन किया गया है। भूमि
व्य होगा।

ससरा नं० 595स/1-5-7 बीया भूमि ग्राम अधिलेखों में तुलसी पुत्र पनखाम
वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। तुलसी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
ते हुए कहा है कि भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से दिया जाय तत्था
अनुसार न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई
य नहीं दखिल किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा,
होगा।

ता सत्तौनी सं० 263

जोधा पुत्र मधुरा ग्राम वा
। जोधा ने अपना मांग
से मांगा है तथा 20 प्रति
मांग की है। अपनी मांग
नियमतः जो निर्धारित कि

ससरा प्लॉट नं० 407/1-0-6, 502/0-2-17 बीया भूमि श्री तुलसी, मंशा,
गण पंचम ग्राम वासी का नाम श्याम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है।
श्री की मृत्यु हो चुकी है। उनके वरिस रामखेलावन पुत्र तुलसी ने मांग पत्र प्रस्तुत
हा है। साक्ष्य में उदरण सत्तौनी भी प्रस्तुत किया है। रामखेलावन व मंशा द्वारा संयुक्त
पत्र प्रस्तुत किया गया है। रामखेलावन द्वारा जो प्रथम मांग पत्र प्रस्तुत किया गया
उसमें 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा संयुक्त मांग पत्र द्वारा 25/- प्रति वर्ग
की दर से भूमि का प्रतिकर मांगा है। सोलेशियम व न्याय की भी मांग की गयी है।
नी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं दखिल किया गया है। भूमि का
कर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

खाला खतौनी सं० 264

ससरा नं० 186/0-7-16 बीघा भूमि पर श्रीमती तुलसा देई पुत्री छेदा वासी का नाम ग्राम खमतेरों में बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । तुलसा देवी ने अप मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि के पास रेलवे स्टेशन, राहक अडि की सुविधा है तथा बिजली, पानी अदि की सुविधाये उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियम जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम भी देय होगा ।

खाला खतौनी सं० 265

ससरा प्लॉट नं० 271/1-10-11 बीघा भूमि पर ग्राम खमतेरों में जिले पुत्र ठाकुर का नाम बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । त्रिलोकी की मृत्यु हो चुकी प्रस्तुत की गयी खतौनी के अनुसार उनके बहिरस विस्मि कुमार व मोतीलाल मुभगण जिले हैं । विस्मि कुमार व मोतीलाल द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित दर के अनुसार देय होगा ।

खाला खतौनी सं० 268

ससरा प्लॉट नं० 579/0-8-10 बीघा भूमि पर देवी सिंह पुत्र विश्वनाथ का नाम ग्राम वासी का नाम ग्राम खमतेरों में बतौर बेगी-2 सीरदार अंकित है । देवी सिंह व बाबा देवादास द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है कि भूमि फैलाबाद राष्ट्रीय मार्ग व उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की पूर्ण विकसित हीनशर अवस्थीय योजना के पास स्थित बनाया है तथा भूमि के निकट बिजली, पानी, गैस सुविधाये, अदि बताते हुए भूमि का मूल्य 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियम जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

श्रीमती खतोनी सं० 273

श्रीमती तुलसा देई पुत्री देवा ... ससरा प्लाट नं० 440/0-19-0, 441/1-1-10, 512/4-13-14 बीघा ...
 न है। तुलसा देवी ने अपनी भूमि पर ग्राम अधिलेखों में देवीदीन पुत्र मोहन शा०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार ...
 स्टेशन, सड़क आदि की सुविधाओं का जिक्र है। देवीदीन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए अपनी भूमि को शहरी सव्यन ...
 भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व न्याज की भी मांग की है। अपनी मांग की दृष्टि में इनके ...
 भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

श्रीमती खतोनी सं० 275

श्रीमती पर ग्राम अधिलेखों में श्रीमती ... ससरा नं० 203/1-3-11, 252/1-18-17, 281स/1-18-17, 201स/ ...
 श्रीमती की मृत्यु हो चुकी है। श्रीमती ... 10-1-14 बीघा भूमि पर दुर्जनदास, सन्तुदास पुत्रगण हेमराज शा०वा० का नाम ग्राम अधिलेखों ...
 र व मोतीलाल पुत्रगण जितेंद्र बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। दुर्जनदास व सन्तुदास ने अपना अपना मांग पत्र ...
 5/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। दुर्जन दास द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- व सन्तुदास द्वारा ...
 प्रतिफल की दर से सोलेशियम 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम ...
 में द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। अपनी मांग की दृष्टि में इन लोगों द्वारा कोई सहाय नहीं ...
 द्वारा देय होगा। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार ...
 देय होगा।

श्रीमती खतोनी सं० 276

श्रीमती देवी सिंह पुत्र विखनस्य ... ससरा प्लाट नं० 256/3-19-12 बीघा भूमि पर श्रीमती धर्मराज पत्नी चन्द्रभात ...
 र अंकित है। देवी सिंह ... का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीमती धर्मराजी ...
 रिभव की पूर्ण विकसित होने पर अपने दो मांग पत्र प्रस्तुत किये हैं। एक मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति ...
 प्रतिफल बिगली, पानी, शक्ति वर्ग फुट की दर से तथा दूसरे मांग पत्र द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का ...
 की दर से मांगा है। अपनी मांग की दृष्टि में इन दोनों मांगों द्वारा कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया गया है। अपनी मांग की दृष्टि में इन दोनों ...
 भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 277

ससरा प्लॉट नं० 382/0-16-0, 384/0-18-7 बीघा भूमि पर धन् फकीरे ग्रामवा० का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीमती की तरफ से उनके वकील इकबाल हसन ने आपत्ति प्रस्तुत की है कि धन् की मृत गयी है तथा उनके लड़के फकीरे, पंचम की भी मृत्यु हो गयी है। श्रीमती चोहाना फकीरे ने अपने को वारिस बताते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की मांग है। 15 प्रतिशत की दर से न्याय भी मांगा है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई नही प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह चोहाना को उसी दशा में देय होगा जब उनके द्वारा भूमि का स्वामित्व का सक्ष्य प्रस्तुत जायगा।

साता सतीनी सं० 287

ससरा प्लॉट नं० 529/0-7-0 बीघा भूमि पर लहरे पुत्र शिवकाश ग्राम का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित है। लहरे ने अपना मांग प्रस्तुत किया है। अपनी भूमि के चारों तरफ आवासीय सुविधायें उपलब्ध बताते हुए का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में सक्ष्य नही प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 289

ससरा प्लॉट नं० 198/1-5-19-0, 623/0-13-14 बीघा भूमि पर पुत्र मेरू ग्राम वाली का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर शेणी-2 सीरदार अंकित है। ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की मांग है। 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम का मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नही प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं० 290

7 बीघा भूमि पर घन्नु पुत्र
र अधिक है। श्रीमती चोहान
की है कि घन्नु की मृत्यु
की है। श्रीमती चोहाना पुत्र
/- प्रति वर्ग फुट की दर
ते मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य
निरत किया जाएगा यह श्रीमती
स्वामित्व का साक्ष्य प्रस्तुत किया

खसरा नं० 594ब/1-5-2 बीघा भूमि पर नन्हें पुत्र घनराम का नाम ग्राम
खेतों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अधिकत है। नन्हें ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए
का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम
भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि
प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं० 291

नन्हें पुत्र शिवकला ग्राम बा
। नन्हें ने अपना मांग प
साथ उपलब्ध बताते हुए भूमि
15 प्रतिशत की दर से न्या
अपनी मांग की पुष्टि में को
जो निर्धारित किया जायगा

खसरा प्लाट नं० 517/II-4-15 बीघा भूमि पर नत्या पुत्र दयाराम ग्राम
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अधिकत है। नत्या ने अपना मांग
प्रस्तुत करते हुए भूमि को भावीक समता से भरपूर बताया है। भूमि का प्रतिफल
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत न्याज व 30 प्रतिशत की
से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

सतीनी सं० 293

13-14 बीघा भूमि पर नन्हें
-2 सीरदार अधिकत है। नन्हें
/- प्रति वर्ग फुट की दर
की दर से सोलेशियम की मा
1 किया है। भूमि का प्रतिफल

खसरा प्लाट नं० 34/1-19-8, 439/9-13-2 बीघा भूमि पर नन्हें पुत्र
निवासी लखना मजरा देह का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार दर्ज है।
ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मौजूदा समय पर खरीफ की फसल
है जिसकी कीमत 10,000-00 प्रति बीघा बतायी है। खसरा नं० 439 पर ट्यूबवेल
बतलाया है तथा भूमि के पास आवासीय सुविधायें उपलब्ध बताते हुए भूमि का प्रतिफल
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 15
प्रतिशत की दर से न्याज की भी मांग की है। नन्हें ने अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य
प्रस्तुत किया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसलों का कच्चा नहीं लिया
है। भूमि का प्रतिफल नियमानुसार निर्धारित दर के अनुसार देय होगा तथा न्याज
सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं० 294

खसरा प्लाट नं० 270/4-6-16 बीघा भूमि पर नन्हें व रिसाल पुत्रगण डेमराव,

रघुनाथ व हीरासाह पुत्रगण जंगली व सेवक, नागेश्वर पुत्रगण ओट्टन ग्राम वासी ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इन लोगों द्वारा कोई मांग आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया देय होगा।

सात सतीनी सं० 295

ससरा प्लॉट नं० 464/5-6-13-0, 492/3-2-11 बीघा भूमि पर पुत्र महावीर ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा।

सात सतीनी सं० 296

ससरा नं० 94/1-9-18, 357/4-4-3, 404/1-11-0, 460/0- बीघा भूमि पर नोमीलाल पुत्र मेरू ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। नोमीलाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित के अनुसार देय होगा।

सात सतीनी सं० 298

ससरा नं० 178/2-7-1 बीघा भूमि पर नाथू पुत्र भक्तार ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। नाथू ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत कर भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्र 15 प्रतिशत ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की है। अपनी पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, देय होगा।

ब्रह्मगण छोड़न ग्राम वासी क
इन लोगों द्वारा कोई मांग
यमतः जो निर्धारित किया

सतोनी सं० 308

ससरा प्लाट नं० 160/0-6-0, 161/1-0-0 बीघा भूमि पर नरपु पुत्र
व बशीलाल अवयस्क जायु 15 वर्ष संरक्षक श्रीमती विद्वाना श्रमाता पुत्र कीदा ग्राम
का नाम ग्राम अभिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । नरपु व श्रीमती विद्वाना अपने
पुत्र बशीलाल के संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 20/- प्रतिवर्गफुट
की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से ब्याज
की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वेय होगा ।

73-2-11 बीघा भूमि पर
-2 सीरदार अंकित है । न
- प्रति वर्ग फुट की दर से
की दर से सोलेशियम की मां
1 है । भूमि का प्रतिफल निय

सतोनी सं० 306

ससरा प्लाट नं० 548/0-14-0, 549/0-16-0, 567/0-10-0, 570/0-
बीघा भूमि पुतुसिंह पुत्र रामरत्नसिंह, श्रीमती केशवती देवी विधवा पुतुनुसिंह व शम्भुनाथसिंह
दालसाहब व कुमारी सुशीला पुत्री नारायणसिंह व इकबाल बहादुरसिंह पुत्र कुंवर बहादुरसिंह
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । शम्भु नथ सिंह,
सिंह, इकबाल बहादुरसिंह, कुमारी सुशीला द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत किये गये
शम्भुनाथसिंह द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रतिवर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा
इस भूमि का प्रतिफल 15/- प्रतिवर्ग फुट की दर से इकबाल बहादुर सिंह व कुमारी सुशीला द्वारा
की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि का प्रतिफल नियमतः निर्धारित किया जायगा वेय होगा ।

404/1-11-0, 460/0-
अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सी
इस भूमि का प्रतिफल 15/-
की भी मांग की है । अपनी
का प्रतिफल नियमतः निर्धारित

548 तथा 549 में विपरीत स केवत 0-13-7 बीघा में 1/2 भाग का हिस्सा बताया
तथा 0-3-6 रकबा शम्भुनाथ सिंह पुत्र स्व० लालसाहब का हिस्सा बताया है । भूमि संख्या
का पूर्ण हिस्सा शम्भुनाथ सिंह का बताया है तथा अपना कोई हिस्सा नहीं बताया है ।
त नं० 570 पर बाग बताया है जिसमें 1/6 भाग का भागीदार कहा है । उपरोक्त

(पुत्र मल्लर ग्राम वासी का
अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते
। 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रति
की भी मांग की है । अपनी
का प्रतिफल नियमतः जो निर्

नाथ सिंह, इकबाल बहादुर सिंह व कु० सुशीला द्वारा फसल का प्रतिफल 5000/- प्रति
की दर से मांगा गया है तथा ग्राम की आषाढी के मध्य स्थित भूमि अधिग्रहीत न
जाने की बात कही है । उपरोक्त सभी मांगकर्ताओं द्वारा ब्याज व सोलेशियम की भी
की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि को जर्जन से मुक्त किया जाना भेरे स्तर से संभव नहीं है । फसल का
फलक देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार हिस्से के मुतबिक देय होगा ।

साता सतीनी सं० 307

ससरा प्लॉट नं० 652/3-9-3 बीघा भूमि पर पुत्तू सोहनलाल, कालिका व लाल नामा० आयु 17 वर्ष सं० श्रीमती कुंदेलाल मिश्रापु० पु०ग० जनकज जा०वा० का नाम ग्राम अमितेखो में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उक्त अंकित कारतकारों द्वारा एक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से लो की मांग की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में इस तीनों द्वारा कोई सहाय नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियत देय होगा।

साता सतीनी सं० 311

ससरा प्लॉट नं० 37/0-9-6 बीघा भूमि पर परमेश्वरदीन पुत्र लोचन का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार ग्राम अमितेखो में अंकित है। इनके द्वारा भूमि का 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशिय भी मांगा की गयी है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 319

ससरा प्लॉट नं० 378/0-7-12 बीघा भूमि पर पुत्तू सिंह पुत्र राम सिंह जा०वा० का नाम ग्राम अमितेखो में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। पुत्तू सिंह उक्त भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु कहा गया है। भूमि के प्रतिफल के संबंध में मांग नहीं की है। भूमि को मेरे स्तर से छोड़ना संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियत जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सतीनी सं० 324

भूमि प्लॉट नं० 380/1-1-10, 301स/0-10-10 बीघा भूमि पर पुत्र फकीरे जा०वा० का नाम ग्राम अमितेखो में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। की मृत्यु हो चुकी है। उक्त भूमि का प्रतिफल श्रीमती चोहाना पुत्री फकीरे द्वारा प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। श्रीमती चोहाना द्वारा अपनी मांग की पूर्ति

के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो त्रिभुज, सोहनलाल, अशोक व पुत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जायगा वह श्रीमती चोहाना को उसी दशा में देय होगा जब उनके द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत करेगी ।

ससरा प्लाट नं० 381ख/0-13-0, 382ख/0-19-0 बीघा भूमि फकीरे पुत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जायगा वह श्रीमती चोहाना को उसी दशा में देय होगा जब उनके द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत करेगी ।

ससरा प्लाट नं० 329

परमेश्वरदीन पुत्र लालचंदन द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 301ख/0-13-0, 382ख/0-19-0 बीघा भूमि फकीरे पुत्रों द्वारा प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 330

परमेश्वरदीन पुत्र लालचंदन द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 510/2-6-1 बीघा भूमि पर फकीरे पुत्र भगवानदीन का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 334

परमेश्वरदीन पुत्र लालचंदन द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 638ख/1-10-12 बीघा भूमि पर बन्धन पुत्र पसीटे का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 342

10-10 बीघा भूमि पर फकीरे पुत्रों द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ससरा प्लाट नं० 296/2-16-9 बीघा भूमि पर श्रीमती बवाला पत्नी छेदा द्वारा भूमि का प्रतिफल प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भूमि अपनी माता बदाता से वारसतन में पाई भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। इनके द्वारा भूमि में रखने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है और न ही भूमि के मांगे संबंधी संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

इसी उषल भूमि के संबंध में एक आपत्ति गयादीन पुत्र शीपती बदाता ने किया है कि बदाता की मृत्यु दिनांक 28-5-85 को हो चुकी है। अतएव संगठित का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से व. 20 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा प्रतिशत की दर से सोलेथियम की भी मांग की है। गयादीन द्वारा यह भी कहा गया कि भूमि संख्या 296 का केस नायब तहसीलदार के न्यायालय पर दायित्व नज़रिज के में चल रहा है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य आदि नहीं प्रस्तुत किया है। उ मांगकर्ता गणों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह भूमि में स्वत्व रखने संबंधी साक्ष्य करने की दशा में ही देय होगा।

खाला खतौनी सं० 345

ससरा प्लाट नं० 402/1-19-3, 412/3-16-16 बीघा भूमि पर बेच छोटेलाल, भोंवूलात पुत्रगण देवू नि० हुसेइया का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर सीरदार अंकित है। बेचालाल व छोटेलाल की मृत्यु हो चुकी है। बेचालाल के वारिस ओलादीर व रामसनेही ने अपना स्वत्व सम्बन्धी साक्ष्य उदरण खतौनी प्रस्तुत करते हुए का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। भोंवूलात ने अपना मांग पत्र रूप से प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। राम दुलारी बेचा छोटेलाल ने भी अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। रामदुलारी द्वारा स्वत्व संबंधी कोई साक्ष्य नहीं किया है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दक्षित किया। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार स्वत्व संबंधी प्रस्तुत करने पर देय होगा।

खाला खतौनी सं० 346

ससरा प्लाट नं० 446/3-6-10, 509/1-15-5 बीघा भूमि पर व

रस्ता से बराबर में पाई
 । इनके द्वारा भूमि में
 ही भूमि के मांगे गये मूल्य
 न पुत्र श्रीमती बदाला ने वारिस
 की है । अतएव संबंधित
 त की दर से न्याज तथा
 नि द्वारा यह भी कहा गया
 य पर दक्षिण वारिस के सं
 प्रस्तुत किया है । उमर
 प्रस्तुत किया है । भूमि
 स्वत्व रखने संबंधी साक्ष्य प्र
 16 बीघा भूमि पर बेचाला
 म अमिलेखों में बतौर श्रेणी
 है । बेचाला के वारिस
 सतीनी प्रस्तुत करते हुए
 दुलाल ने अपना मांग पत्र प्र
 फुट की दर से मांगा है त
 ते हुए भूमि का प्रतिफल 25
 संबंधी कोई साक्ष्य नहीं प्र
 साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है
 नियमानुसार स्वत्व संबंधी सा
 5-5 बीघा भूमि पर वंशी

सुन्दरलाल पुत्रगण बन्धु का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है।
 सुन्दरलाल द्वारा प्रथम-प्रथम भूमि का प्रतिफल, मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए मांगा
 है न भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से व 20 प्रतिशत की दर से
 तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है । उन लोगों द्वारा
 मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
 निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 347

ससरा प्लॉट नं० 504/0-6-17 बीघा भूमि पर श्रीमती बड़की विधवा रुदान
 का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीमती बड़की द्वारा
 पत्र/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
 गया वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 348

ससरा नं० 341/2-14-3, 450/2-19-0 बीघा भूमि पर बाबू पुत्र रामप्रसाद
 श्री केशन पुत्र चोखे का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीकेशन
 अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए 1/2 भाग भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट
 दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम
 मांग की है । मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल
 नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा ।

सतीनी सं० 350

ससरा प्लॉट नं० 245/2-10-11, 655/0-8-0, बीघा भूमि पर बट्टी प्रसाद,
 रामप्रसाद पुत्रगण बानूलाल शां०शां० का नाम ग्राम अमिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित
 है । बट्टी प्रसाद व गया प्रसाद द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल
 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा गयाप्रसाद द्वारा एक प्रथम मांग पत्र प्रस्तुत
 करते हुए 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से भूमि का प्रतिफल मांगा है । उनके द्वारा न्याज
 सोलेशियम की भी मांग की गयी है । उन लोगों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई
 साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
 देय होगा ।

खाता सतीनी सं० 351

संसरा प्लाट नं० 348/8-3-4, 459/0-19-10 बीघा भूमि पर श्री सीताराम का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। बुढ़ा की उम्र 70 वर्ष की है। उनके पारिस अशफ़ीलाल पुत्र बुढ़ा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेथियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में इनके द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह बरासत के उपरान्त उदरण प्रस्तुत करने पर ही अशफ़ीलाल को देय होगा।

खाता सतीनी सं० 354

संसरा प्लाट नं० 619/0-18-7 बीघा भूमि पर बबलू पुत्र नारायण का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। बबलू द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 की दर से सोलेथियम की मांग की गयी है। इनके द्वारा अपनी मांग की पूर्ति साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 356

संसरा प्लाट नं० 639/2-9-3 बीघा भूमि पर वैजनाथ, रामेश्वर आयु 16 वर्ष व चुन्नीलाल नाबा० आयु 13 वर्ष व ननकऊ नाबा० 3 वर्ष सं० प्यारा इमाता 8 पुत्रराज रामदुलारे निवासी छोटा भरवारा का नाम ग्राम अमिलेखी में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल प्रतिवर्गफुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 की दर से सोलेथियम की भी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाता सतीनी सं० 358

संसरा प्लाट नं० 246/1-18-13 बीघा भूमि पर वैकु व गयाप्रसाद परवानी या०बा० का नाम ग्राम अमिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है।

1-10 बीघा भूमि पर बुदा
ऑफिस है। बुदा की मृत्यु
योग पत्र प्रस्तुत करते हुए
व्याज व सोलेशियम की भी
नहीं प्रस्तुत किया गया है।
सत के उपरन्त उदरण

द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/-
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की
सोलेशियम की मांग की है। साथ ही साथ व्यापार परिवर्तन के मद में 50 प्रतिशत
मांग की है। फसल की हानि का ₹0. 2,00,000/- भी मांगा है। अपनी मांग
में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल
नहीं प्रस्तुत किया गया है। कोई हानि नहीं पहुंचाई गई है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
नियमानुसार देय होगा तथा व्याज व सोलेशियम भी नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं० 359

पर बदलू पुत्र नारायण प्रा०
। बदलू द्वारा अपना मांग
की दर से मांगा गया है
की दर से व्याज व 30 प्रति
। अपनी मांग की पुष्टि में
मतः जो निर्धारित किया जाय

ससरा प्लॉट नं० 358/3-5-0, 473/2-4-11 बीघा भूमि पर श्रीमती मुन्ती
अशाराम निवासी तखवा का नाम ग्राम अम्बिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार ऑफिस
श्रीमती मुन्ती ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग
की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से
सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

सतीनी सं० 366

पर बेजनाथ, रामेश्वर ना०
का नामा० 3 वर्ष सं० श्री
नाम ग्राम अम्बिलेखों में बत
है हुए भूमि का प्रतिफल 30
दर से व्याज व 30 प्रति
नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि
य होगा।

ससरा प्लॉट नं० 421/3-11-11, 501/0-12-11 बीघा भूमि पर भगवान
पुत्र नन्दाक निवासी तखवा का नाम ग्राम अम्बिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार ऑफिस
भगवानदीन की मृत्यु हो चुकी है। अमलकरामद आदेश हो चुके हैं जिनके अनुसार
भगवानदीन के बरिस बरिका, रामबघार, रामचरण, राम आसरे, राजकरन पुत्रगण भगवानदीन
बरिका, रामआधार, राजकरन द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। रामचरण
अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 40/- प्रति वर्ग फुट की दर से,
व्यसरे ने 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। इन लोगों द्वारा व्याज व सोलेशियम
की मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य इन लोगों द्वारा प्रस्तुत नहीं
किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार
देय होगा।

सतीनी सं० 370

पर मेकू व गयाप्रसाद पुत्रा
सीरदार ऑफिस है। मेकू

ससरा प्लॉट नं० 618/0-3-13, बीघा भूमि पर मुस्ताफ अली व रांके पुत्रगण

मूलज्वर निवासी छोटा मरवारा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार मुस्ताक अली व बांके द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवर्ग 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति साध्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिवर्ग नियमतः जो निर्धारित किया जा नियमानुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 372

ससरा नं० 434/6-9-5, 577/0-7-19 बीघा भूमि पर महाराज व पुत्र जम्बरसिंह ग्रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र महाराज बहा सिंह ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिवर्ग 10/- फुट की दर से मांगा है । 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिवर्ग, 15 प्रतिवर्ग से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिवर्ग नियमतः जो निर्धारित किया जा नियमानुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 374

ससरा प्लॉट नं० 514/1-5-11-0 बीघा भूमि पर मुन्ना पुत्र बबू का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है । मुन्ना ने अपना प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिवर्ग 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिवर्ग की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी पूर्ति में कोई साध्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिवर्ग नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाता खतोनी सं० 375

ससरा प्लॉट नं० 560/0-1-2-0 बीघा भूमि पर महादेव व जोषा मधुरा ग्रामवासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है । द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिवर्ग नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित किया है जिसके अनुसार भूमि 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

सतोनी सं० 376

ससरा प्लाट नं० 600/0-3-7-0 बीघा भूमि पर मंगल पुत्र हुबलाल का नाम ग्राम अमितेलों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। मंगल प्रसाद ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

बीघा भूमि पर महाराज नरसिंह शर्मा बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

सतोनी सं० 382

ससरा प्लाट नं० 404/1-1-7-12, 325/3-16-8, 442/3-9-18 बीघा भूमि पर महेन्द्र प्रसाद पुत्र गुल्कन्या का नाम ग्राम अमितेलों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। महेन्द्र प्रसाद द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।

सतोनी सं० 386

भूमि पर मुन्ना पुत्र बांधू यादव का नाम ग्राम अमितेलों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। मुन्ना ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

ससरा प्लाट नं० 30/1-3-8-0, 415/3-14-0, बीघा भूमि पर श्रीमती कृष्णा घनी निवासी तखवा का नाम ग्राम अमितेलों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीमती मुकडया ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

सतोनी सं० 387

भूमि पर महादेव व जोधा पुत्र बहादुर शर्मा बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इन दोनों ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 30 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

ससरा प्लाट नं० 49/0-2-0 बीघा भूमि ग्राम अमितेलों में श्रीमती मुकडया का नाम ग्राम अमितेलों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। श्रीमती मुकडया व श्रीमती तालुकवेई ने भूमि का प्रतिफल प्रथम-प्रथम मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 30 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सहाय नहीं प्रस्तुत किया जायगा वरु नियमानुसार देय होगा।

किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार होगा। श्रीमती तानुकर्वेई पुत्री महावीर को प्रतिकर का भुगतान उसी दशा में देय जब वह बरासन के उपरान्त अपने नाम का उत्तरण खतौनी प्रस्तुत करेंगी।

साता खतौनी सं० 389

असरा प्लॉट नं० 537/0-13-15 बीघा भूमि पर मंशाराम पुत्र सन्धू, मि. श्रीम्वान पुत्रगण लोचन, सुमेर, श्यामलाल अवयस्क उम्र 14 वर्ष सं० पारवती पुत्रगण पुरई ग्रामवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरवार अंकित है लखन, सियाराम, श्यामलाल व सुमेर द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र व बिहारी पुत्र द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रॉ. फुट की दर से मांगा है तथा न्यान व सोलेशियम की भी मांग की है। इन लोगों अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिकर जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार डिस्ट्री के मुताबिक देय होगा।

साता खतौनी सं० 390

असरा प्लॉट नं० 342/0-13-17-0 बीघा व 444/1-16-10 बीघा पर मयुरा पुत्र हेमराज निवासी लखवा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। मयुरा प्रसाद ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत है। भूमि का प्रतिकर नियमतः निर्धारित दर से देय होगा।

साता खतौनी सं० 402

असरा प्लॉट नं० 290/1-4-2 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में महाशं जवाहर व पूरन पुत्र नेले ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित है। महावीर व पूरन की मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसों द्वारा कोई मांग अधिलेख पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित जायगा वह नियमानुसार भूमि में स्वयं रखने वाले को देय होगा। स्वयं का साक्ष्य नहीं किया गया है।

किया जायगा वह नियमानुसार भुगतान उसी वशा में देय प्रस्तुत करेंगी ।

सतोनी सं० 410

ससरा प्लॉट नं० 532/2-3-0, 534/1-2-0, 536/0-19-0 बीघा भूमि पुत्र रामसरन ग्रा०वा० का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित माघो ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है । 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 411

ससरा प्लॉट नं० 23स/1-9-0 बीघा भूमि पर ग्राम अभिलेखों में महोदय पुत्र ग्रा०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । महोदय ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 412

ससरा नं० 361स/0-2-10-0, 362/1-2-0 बीघा भूमि पर मंगल वयस्क नारायण, राघेलात अवयस्क जायु कमरा: 11 वर्ष व 9 वर्ष का नाम ग्राम अभिलेखों में श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मंगल, नारायण, राघे की माता मुन्नी ने अपना मांग प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतोनी सं० 417

ससरा प्लॉट नं० 629/0-17-0 बीघा भूमि पर ग्राम अभिलेखों में मुत्ते पुत्र व मानु पुत्र शंकर ग्रा०वा० का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मोलदे व दारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1/2 भाग की प्रत्येक ने मांग

पर मंथाराम पुत्र अन्नु, सि... यु 14 वर्ष सं० पारवती श्रेणी-2 सीरदार अंकित है मांग पत्र व मिहारी पुत्र भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति मांग की है । उन लोगों के मांग पत्रों में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।

व 444/1-16-10 बीघा अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 अंकित करते हुए भूमि का प्रतिफल में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।

पर ग्राम अभिलेखों में महावीर अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 उनके वारिसों द्वारा कोई मांग प्रस्तुत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा । स्वत्व का सक्ष्य

की है तथा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग पर फुट में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतौनी सं० 418

ससरा प्लॉट नं० 432/1-17-0 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में मंगल गरीब, धिरंजीलाल, जरसन, धनीराम पुत्रगण गंगादीन/का नाम बतौर श्रेणी-2 सी. अंकित है। उक्त कर्तव्यकारों द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की फुट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतौनी सं० 419

ससरा प्लॉट नं० 599/0-3-7 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में मनी पुत्र कुन्द व मंगल पुत्र हुबलाल का नाम बतौर श्रेणी-2 सी. अंकित है। मनी व मंगल द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है। अपनी मांग की फुट में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतौनी सं० 420, 421

ससरा प्लॉट नं० 447/1-8-10, 448/0-10-0, 27/2-7-5 बीघा पर मुन्ना उर्फ हनोमान व हीरालाल पुत्रगण नेवाजी व कुमारी शिवदेवी नं० का पुत्री विधवा सं० मुन्ना उर्फ हनोमान निवासी तस्वा का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सी. अंकित है। कु० शिवदेवी व हनोमान, हीरालाल द्वारा संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है।

र से मांगा है तथा 15 प्र
मांग की है । अपनी मांग
कर नियमतः जो निर्धारित

की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 422

पर ग्राम अभिलेखों में
नाम बतौर श्रेणी-2
स्तुत करते हुए भूमि का प्रति
की दर से ब्याज व 30 प्रति
की पुष्टि में कोई सक्ष्य
रत किया जायगा वह नियमानु

ससरा प्लॉट नं० 355/1-1-4, 438/2-9-2 बीघा भूमि पर राजाराम पुत्र
व विनेश कुमार अव्यक्त उम्र 14 वर्ष सं० श्रीमती रामपती देवाहाई पुत्र रामदयाल
की तस्ववा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । राजाराम व
कुमार की तरफ से उनकी माता/दादा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है
लोगों के द्वारा भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा
प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है ।
मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो
रत किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 425

पर ग्राम अभिलेखों में
-2 सीरदार अंकित है ।
के द्वारा भूमि का प्रतिकर 30
की दर से ब्याज व 30 प्रति
की पुष्टि में कोई सक्ष्य
त किया जायगा वह नियमानु

ससरा प्लॉट नं० 1/5-3-12 बीघा भूमि पर रामसेवक व रामभरन पुत्रगण
निवासी तस्ववा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामसेवक
रामभरन द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके द्वारा अपनी भूमि का
र 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम
की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि
प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतीनी सं० 428

0-0, 27/2-7-5 बीघा भूमि
शिवदेवी ना०वा० पुत्री निषवन
लेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार
मांग पत्र प्रस्तुत किया गया
दर से मांगा गया है तथा
व्यय की मांग की है । अप

ससरा प्लॉट नं० 174/0-18-0 बीघा भूमि पर रामप्रसाद पुत्र विहारी व
पुत्र दुबलाल का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामप्रसाद
द्वारा प्रथक-प्रथक अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । भूमि में अपना अपना 1/2
बनाया है तथा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30
प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से ब्याज की मांग की गयी है ।
का प्रतिकर भी प्रथक-प्रथक 50,000/- मांगा है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की
में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
जायगा वह नियमानुसार हिस्से के मुताबिक देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 430

ससरा प्लॉट नं० 21/3-9-6 बीघा भूमि पर रामस्वरूप व सुल्हा पुत्रगण मकान निवासी तखिया का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । मोलहे रामस्वरूप द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 431

ससरा प्लॉट नं० 44/0-10-0, 46/0-5-0 बीघा भूमि पर रम्मा, लुटई राधे पुत्रगण मैकू व. सियाराम, रामचन्द्र, पुत्रगण महावीर का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामचन्द्र, सियाराम, लुटई द्वारा प्रथक-प्रथक व रम्मा व राधे द्वारा संपुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । रामचन्द्र, सियाराम व रम्मा, राधे द्वारा भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा लुटई द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से, इन लोगों द्वारा व्याज व सोलेशियम की भी मांग की गयी है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 435

ससरा प्लॉट नं० 11/1-1-16 बीघा भूमि पर रामलखन पुत्र रामसाहय निवासी तखिया का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामलखन द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना खतोनी सं० 436

ससरा प्लॉट नं० 605/2-8-11 बीघा भूमि पर रामओतार पुत्र रामओतार पुत्र मैकू श्रावण के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामओतार ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा 15 प्रतिशत

की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

क्रमा संतोनी सं० 437

ससरा प्लाट नं० 642/4-5-6 बीघा भूमि पर राम बुलारी विधवा टीकराम प्रियवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामबुलारी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा ।

क्रमा संतोनी सं० 439

ससरा प्लाट नं० 582/0-2-0 बीघा भूमि पर रामपाल सिंह व सुखदेव सिंह व देवी सिंह व दुर्गा कला सिंह पुत्रगण विश्वनाथ सिंह निवासी ग्राम का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । देवी सिंह व दुर्गा कला सिंह द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है । इन लोगों द्वारा यह कहा गया है कि भूमि सं० 582 पर साधु सन्त ठहरते हैं तथा पूजा खींच होती है । देवी सिंह उर्फ साधु देवदास ने स्वयं अपने को साधु बताते हुए भूमि को जर्जन से मुक्त करने हेतु कहा है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा नियमानुसार देय होगा । भूमि को छोड़ा जाना मेरे हित से संभव नहीं है ।

क्रमा संतोनी सं० 442

ससरा प्लाट नं० 508/2-0-16, 538ब/1-19-9, 660/3-13-10 बीघा भूमि पर रामदयाल पुत्र हीरानाथ ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । रामदयाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है । रामदयाल ने यह कहा है ससरा नं० 660 पर समरुव की बाग है । उसके अतिरिक्त एक पेड़ बेल, कीमत 1000/- पेड़ बदल, कीमत 500/- तथा बाग की सालाना आमदनी 3000/- बताया है ।

प व मुल्हा पुत्रगण अंकित है । मोलहे

का प्रतिफल 20/- प्रति ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से इन लोगों द्वारा कोई निर्धारित किया जायगा

भूमि पर रम्मा, छोटई, राप अधिलेखों में बतौर

प्रथक व रम्मा व राधे म व रम्मा, राधे द्वारा तथा छोटई द्वारा 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की गयी है तथा भूमि का प्रतिफल

न पुत्र रामसहाय निवासी है । रामलखन द्वारा 20 प्रतिशत की दर । अपनी मांग की पुष्टि में निर्धारित किया जायगा

लेखों में रामओतार पुत्र र ने अपना मांग पत्र तथा 15 प्रतिशत की

ससरा प्लॉट नं० 930 पर तीन पेड़ भीशम, कीमत 3000/-, एक पेड़ केर कीमत 1000/- एक वकूल कीमत 500/-, एक पेड़ अमरुव 200/- कीमत बताया है। इसी सम्बर 5 बिस्वा पर कब्रिस्तान भी बताया है जिसको छोड़ने के लिये कहा है। इनके द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 12 प्रतिशत जीतीरक्त प्रतिफल 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। रामदयाल द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि छोड़ा जाना मेरे स्तर से संभव नहीं है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 446

ससरा प्लॉट नं० 67/0-19-19 बीघा भूमि पर रामचरण व नन्दू व सर पुत्रगण भित्तेश्वर ग्रामवासी का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उक्त भूमि के संबंध में रामपाल, देवराज व अहेत प्रसाद द्वारा एक संयुक्त रूप से दिनांक 28-1-87 को अपनी मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है। गेहूँ की फसल का प्रतिफल रु० 50,000/- मांगा है जो देय न होगा क्योंकि फसल का फलना नहीं लिया गया है। मांगकर्तियों द्वारा भूमि में स्वत्व रखने का साक्ष्य देने पर ही प्रतिफल देय होगा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 447

ससरा प्लॉट नं० 3898/0-0-12 पर राजेश्वरी उर्फ लल्ली पुत्री जगदेवन सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना खतोनी सं० 448

ससरा प्लॉट नं० 575/0-3-10-0 बीघा भूमि पर राजेश्वरी उर्फ लल्ली पुत्री जगदेवन सिंह का नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। इनके द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

1 गेहूँ केर कीमत 1000/-
लाया है। इसी नम्बर
कहा है। इनके द्वारा
प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिशत
सोनेशियम की मांग की है
किया गया है। भूमि
नियमत: जो निर्धारित कि

में राजश्रीसिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उन्होंने भूमि का
प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है। 10 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत
दर से सोनेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दक्षित
है। भूमि का प्रतिफल नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिस्से
लाभिक देय होगा।
सतौनी सं० 449

ससरा प्लॉट नं० 433/2-14-17, 643/0-3-0, 645/1-13-1. बीघा

पर रामशिलावन, रामअवततार, रामकृष्ण, रामप्रसाद पुत्रगण जोड़कर प्रायः वाली का नाम
अमचरण व नाम्द व लक्ष्मीनेश में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि
-2 सीरदार अंकित है संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति
रक संयुक्त रूप से दिनांक फिट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर
का प्रतिफल 50/- प्रतिशत सोनेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है।
की है। गेहूँ की फसल का प्रतिफल नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
ससल का कच्चा नहीं लिया जायगा।
पर ही प्रतिफल देय होगा।
भूमि का प्रतिफल नियमत:

पर रामशिलावन, रामअवततार, रामकृष्ण, रामप्रसाद पुत्रगण जोड़कर प्रायः वाली का नाम
अमचरण व नाम्द व लक्ष्मीनेश में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी भूमि
-2 सीरदार अंकित है संबंध में संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। जिसके द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति
रक संयुक्त रूप से दिनांक फिट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर
का प्रतिफल 50/- प्रतिशत सोनेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है।
की है। गेहूँ की फसल का प्रतिफल नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।
ससल का कच्चा नहीं लिया जायगा।
पर ही प्रतिफल देय होगा।
भूमि का प्रतिफल नियमत:

सतौनी सं० 454

ससरा नं० 435/0-12-1 बीघा भूमि पर राम प्रसाद पुत्र ननुकऊ निवासी

का नाम ग्राम अमिनेश में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। राम प्रसाद की मृत्यु
हुकी है। प्रस्तुत की गयी सतौनी संख्या के अनुसार बेजनाथ अवयस्क उम्र 17 वर्ष
का श्रीमती नरायणी [माता] स्वयं राम प्रसाद के खीरस हैं। बेजनाथ की माता श्रीमती
सुल्ली पुत्री जगदेवी ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से
। इनके द्वारा कोई मांग है तथा ब्याज व सोनेशियम की भी मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य
निर्धारित किया जायगा प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमत: जो निर्धारित किया जायगा व नियमानुसार
देय होगा।

सतौनी सं० 459

ससरा प्लॉट नं० 260/1-1-17, 206/1-13-11, बीघा भूमि ग्राम अमिनेश

में राजश्रीसिंह, ननुकऊ सिंह, पुत्रगण गुरुवरन सिंह
द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से
है। 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोनेशियम की मांग

में राजश्रीसिंह, ननुकऊ सिंह, पुत्रगण गुरुवरन सिंह द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से
है। 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोनेशियम की मांग

की है। 50 मांग पेटों का प्रतिफल ₹0 2,00,000/- भी मांगा है। उन्होंने अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दलित किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निधारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

भाता सतौनी सं० 460

ससरा प्लाट नं० 4743/0-17-12, 656स/0-5-18 बीघा भूमि पर राम पुत्र मेकू निवासी लखवा के नाम ग्राम अधिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। राम ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निधारित किया जायगा वह देय होगा।

भाता सतौनी सं० 461

ससरा प्लाट सं० 319स/1-12-12, 656स/0-6-4-0, बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में राधेताल पुत्र मेकू का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। राधेताल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। फसल की फसल की कीमत 10,000/- प्रति बीघा बतौर है। राधेताल द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं दलित किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निधारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

भाता सतौनी सं० 463

ससरा प्लाट नं० 56/0-16-13, 84/0-4-7, 425/1-2-9 बीघा भूमि पर ग्राम अधिलेखों में रामेश्वर पुत्र सरजू निवासी लखवा के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। रामेश्वर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति बीघा की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी फसल का प्रतिफल भी 10,000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निधारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

में मांगा है । इन्होंने अपनी
प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित

ससरा संतोनी सं० 468

ससरा प्लॉट नं० 100/0-9-13 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में रामदयाल पुत्र
शंकर के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है । रामदयाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत
करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार
न्याय व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय
होगा ।

1-18 बीघा भूमि पर राम
दयाल व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय
होगा ।

ससरा संतोनी सं० 469 व 538

1. भूमि का प्रतिकर नियमत:

ससरा नं० 365/2-17-10, 468/0-18-0 बीघा भूमि पर ग्राम अभिलेखों
रामसहाय पुत्र रतनू का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जीकत है व ससरा नं० 366/
3-4, 371/1-16-5, 455/1-1-0, बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में शत्रोहन पुत्र श्यामलाल,
मौरी पुत्र परागी व रामसहाय पुत्र रतनू का नाम जीकत है । राम सहाय द्वारा मांग
प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि ससरा नं० 365 व 468 का पूर्ण प्रतिकर तथा
ससरा नं० 366, 371, 455 का 1/2 भाग प्रतिकर मांगा गया है । अन्य लोगों द्वारा
मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । रामसहाय ने भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति
वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर
से सोलेशियम की मांग की है । व्यवसाय परिवर्तन में हुई शक्ति के तिये प्रतिकर की आधी
मांग मांगी है । इनके द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया
है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार शिरसे के पुताबिक
होगा ।

6-4-0, बीघा भूमि पर
शंकर जीकत है । राधेलाल
द्वारा मांग प्रस्तुत की दर
से सोलेशियम की मांग
मांगी है । राधेलाल द्वारा
प्रस्तुत प्रतिकर देय
कर नियमत: जो निर्धारित

ससरा संतोनी सं० 475

425/1-2-9 बीघा भूमि
पर श्रेणी-2 सीरदार जीकत
प्रतिकर 20/- प्रति बीघा
प्रतिशत की दर से सोलेशियम
की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमत: जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार शिरसे के पुताबिक होगा ।

ससरा प्लॉट नं० 633/2-4-15-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में रामकिशुन
द्वारा मांग प्रस्तुत किया गया है । उक्त भूमि के संबंध में केसराम द्वारा एक आपत्ति पत्र प्रस्तुत किया
गया है जिसमें यह कहा गया है कि ससरा नं० 633/2-4-15-0 बीघा भूमि पर अपनी
मांग प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 20/- प्रति
वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर
से सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग व भूमि के स्वामित्व के संबंध में कोई सक्ष्य

नहीं प्रस्तुत किया है। नियमतः जो प्रतिफल निर्धारित किया जायगा वह उक्त भाग से देय होगा। केसराम द्वारा उक्त भूमि में स्वामित्व रखने का सक्ष्य प्रस्तुत करने की दृष्टि से ही उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी अपूर्ण पर प्रतिफल विवेक ज्ञान के संबंध में विचार किया जा सकता है।

खाला खतोनी सं० 482

ससरा प्लॉट नं० 626/1-14-6 बीघा भूमि पर रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्रगण रामभरोसे ग्राम वासी का नाम ग्राम अधिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है। रामचन्द्र व प्रेमचंदर द्वारा एक संयुक्त मांग पत्र द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है, 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल व 15 प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की भी मांग की गयी है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाला खतोनी सं० 485

ससरा प्लॉट नं० 55/2-5-17, 399/1-14-5 बीघा भूमि ग्राम अधिलेखी में श्रीमती रामकली विधवा कलका ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है। रामकली द्वारा भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा नियमानुसार व्याज व सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

खाला खतोनी सं० 487

ससरा प्लॉट नं० 398/2-2-0 बीघा भूमि पर रामपती विधवा कन्डई का नाम ग्राम अधिलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्रित है। इनके द्वारा भूमि के मूल्य के संबंध में कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अग्रिम प्रतिफल हेतु प्रार्थना पत्र व समझौता पत्र दामिल किया गया है जिसके मूल्य के संबंध में कोई बात नहीं लिखी है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

ता त
ती
की
प्र
सो
ता र
वासी
म
नगा
तक
स्त
अन
कते
ता
भू
ने
या
।
ता र
रा
ता
।
5
पनी
नि

सप्तम खतोनी सं० 488

जायगा वह उक्त खाते
साध्य प्रस्तुत करने की दर
अने के संबंध में विचार किया

ससरा प्लॉट नं० 392/0-9-12 बीघा भूमि पर रामलाल पुत्र शुकर ग्राम
अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। रामलाल की मृत्यु हो
गई है। इनके वारिसान शिवनरायन व शिवनाथ पुत्रगण रामलाल ने एक संयुक्त मांग
पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल रु० 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा ग्याज
सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई साध्य नहीं वलित किया है।
रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्रगण का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

सप्तम खतोनी सं० 492

रामचन्द्र व प्रेमचन्द्र पुत्रगण
सीरदार अंकित है। रामचन्द्र
20/- प्रति वर्ग फुट की दर
व 15 प्रतिशत की दर से
गयी है। इन लोगों द्वारा
भूमि का प्रतिफल नियमतः

ससरा नं० 122/1-17-1-0 बीघा भूमि पर रामजघार सिंह पुत्र गनेश सिंह
ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। उक्त
भूमि के संबंध में बृजमोहन सिंह, वैजनाथ सिंह, जयनाथ सिंह, गोमत सिंह, मलकू सिंह
व कुबेर बहादुर सिंह ने एक रजिस्टर्ड वसीयत की फोटोस्टैट कपी वलित करते हुए
प्रतिफल की मांग की है। वसीयत नामा के अनुसार रामजघार ने अपनी सम्पत्ति की वसीयत
पत्र मांगकर्तागणों के पक्ष में दिनांक 25-1-85 को कर दिया है। वसीयत नामे के पैरा-3
अनुसार रामजघार की मृत्यु के उपरान्त ही वसीयत का लभ उक्त मांगकर्तागण उठा
करे हैं। रामजघार द्वारा कोई मांग पत्र वलित नहीं किया गया है और न मांगकर्तागणों
द्वारा इस बात का साध्य दिया गया है कि वसीयत कर्ता जीवित है अथवा नहीं। मांगकर्तागणों
द्वारा भूमि का प्रतिफल उसी दशा में देय होगा जब वह अपने नाम की उदरण खतोनी प्रस्तुत
करेंगे। इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है
तथा 15 प्रतिशत की दर से ग्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी
है।

सप्तम खतोनी सं० 493

रानी विषवा कुन्दी का नाम
भूमि के मूल्य के संबंध
हेतु प्रार्थना पत्र व शपथ
नहीं मिली है। भूमि का

ससरा प्लॉट नं० 540/0-6-15, 541/0-6-15 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों
रामजौतार पुत्र रामसेवक के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। रामजौतार ने अपना
मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा
15 प्रतिशत की दर से ग्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है।
अपनी मांग की पूर्ति में कोई साध्य नहीं वलित किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

खाना सतीनी सं० 494

ससरा प्लॉट नं० 321/2-2-12-0 बीघा भूमि रामकिशन पुत्र शिवधरन नि० जलवा
का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार जिक्र है । रामकिशन अपना भौगपत्र
बलिष्ठ करते हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से माँगा है । अपनी माँग
की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित
किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतीनी सं० 495

ससरा प्लॉट नं० 3/1-10-0, 363/0-6-0, रामकिशन पुत्र शिवधरन व
रामदयाल व सर्वजीत पुत्रगण अम्बर सिंह का नाम ग्राम अभिलेखों में जिक्र है । रामकिशन
सर्वजीत, रामदयाल द्वारा भूमि का प्रतिकर एक संयुक्त माँग पत्र प्रस्तुत करते हुये 15/-
प्रति वर्ग फिट की दर से माँगा है । अपनी माँग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतीनी सं० 496

ससरा नं० 617/0-6-16-0 बीघा भूमि राजेन्द्र प्रसाद व रमेश पुत्रगण सतलकराम
ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार जिक्र है । रमेश की मृत्यु
हो चुकी है उनके वारिस राजेन्द्र प्रसाद पुत्र सतलकराम प्रस्तुत इन्तलाख सतीनी के अनुसार
है । राजेन्द्र प्रसाद उक्त भूमि के संबंध में माँग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिकर
15/- प्रति वर्ग फिट की दर से माँगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 3.0 प्रतिशत
की दर से सीलियम की माँग की है । अपनी माँग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत
किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतीनी सं० 503

ससरा प्लॉट नं० 117/3-6-13, 370/2-1-0-0, 385/3-4-11-0,
470/1-3-5-0 बीघा भूमि पर रघुनाथ, जीतार, रामगोपाल पुत्रगण नेल्ले व रामदीन पुत्र शिवदीन

श्री. पुत्र शिवचरन नि० तत्काल
रामकिशन अपना माँगपत्र
से माँग है । अपनी माँग
कर नियमत: जो निष्पीरित

परकिशन पुत्र शिवचरन व
में अंकित है । रामकिशन
प्रस्तुत करते हुये 15/-
सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
सार देय होगा ।

रमेश पुत्रगण साहिकराम
र है । रमेश की मृत्यु
क्षम खतौनी के अनुसार
हुये भूमि का प्रतिफल
। व्याज व 30 प्रतिशत
कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत
नियमानुसार देय होगा।

385/3-4-11-0,
रामदीन पुत्र शिवकीन

जिसी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रघुनाथ, रामगोपाल, राम-
द्वारा संयुक्त माँग पत्र व रामदीन द्वारा प्रथक रूप से माँग पत्र प्रस्तुत किया है ।
तोगों द्वारा भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फिट की दर से माँग है तथा 15 प्रतिशत
दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की माँग की है तथा लरीफ की फसल
प्रतिफल 10,000/- प्रति बीघा की दर से माँग है । इन लोगों द्वारा अपनी माँग
पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दाखिल किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमत: जो निष्पीरित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल
रकबा नहीं लिया गया है ।

खतौनी सं० 504

ससरा प्लाट नं० 22/2-0-17-0 बीघा भूमि रामचंद्र पुत्र भगवानदीन ग्राम
के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रामचंद्र ने अपना
पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फिट की दर से माँग है तथा
प्रतिशत की दर से व्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेक्षियम की माँग की है । अपनी
की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमत: जो निष्पीरित
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

खतौनी सं० 505

प्लाट नं० 611/2-19-17 बीघा भूमि रामजियावन, रामविहारी व रामबिलावन पुत्रगण
ग्राम ग्राम वासी का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है । रामविहारी
रामबिलावन ने अपना-अपना माँग पत्र प्रस्तुत किया है । रामबिलावन द्वारा भूमि का प्रतिफल
प्रति वर्ग फिट की दर से व विहारी द्वारा 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से भूमि
प्रतिफल चाहा है । इन लोगों द्वारा व्याज व सोलेक्षियम की भी माँग की है । विहारी
यह भी कहा गया है कि रामजियावन की मृत्यु हो चुकी है, उनके वारिस स्वयं जपने
तथा रामबिलावन को बताया है परन्तु इस संबंध में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है ।
प्रस्तुत करने की दशा में ही रामजियावन के ठिकसे वह प्रतिफल विहारी व रामबिलावन
देया जा सकता है । भूमि का प्रतिफल नियमत: जो निष्पीरित किया जायगा वह नियमानुसार
होगा ।

खतौनी सं० 506 व 507

ससरा प्लाट नं० 26/2-13-6, 391/1-1-15, 484/0-6-0 बीघा भूमि

ग्राम अभिलेखों में रामकली देवा भोती नि० उमरभारी, रामसेवक, रामसरन, पुत्रगण दीना निवासी तखवा का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरकार अंकित है। ससरा नं० 26, 391 का पूर्ण रकबा देवा व ससरा नं० 484 का 1/2 भाग के स्वामी ग्राम अभिलेखों के अनुसार रामकली देवा भोती है व ससरा नं० 484 का 1/2 भाग के स्वामी रामसेवक व रामसरन पुत्रगण दीना निवासी तखवा है। रामकली ने ससरा नं० 26, 391 के पूर्व भाग पर व 484 के 1/2 भाग के प्रतिफल की मांग करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांग है।

उपरोक्त सभी ससरा नम्बरों के संबंध में श्रीमती बदला भोती मोती ने आपत्ति दायित्व है कि उक्त भूमि के कालकार भोती पिता हैं किन्तु मृत्यु लगभग-34 वर्ष पूर्व हो गई है पिता की मृत्यु के बाद मन्ना पुत्र भोती भाई अर्पित कर्ता के नाम बरासत दर्ज हुए हैं श्रीमती बदला का यह भी कहना है कि पिता की मृत्यु के लगभग 6 माह बाद ही श्रीमती रामकली विधवा भोती ने अपना पुनः विवाह हथ रिवान विरादरी व हिन्दू धर्म के अनुसार मुसरू पुत्र गौरी निवासी उमरभारी तखशील-मलिहाबाद, तखनऊ के साथ कर लिया जो भी मुतरू की धर्म पत्नी है। मन्ना अर्पित कर्ता के भाई की मृत्यु होने के उपरान्त अर्पित कर्ता स्व० मन्ना का एक मात्र उत्तराधिकारी भी बताया है। अर्पित कर्ता ने यह भी कहा है कि श्रीमती रामकली ने लेखपाल से मिसकर 4000-11 में स्वर्गवास के बाद अपना नाम बरासत लिखा है जबकि रामकली को पुनः विवाह कर लेने का कोई अधिकार नहीं है। यदि उसे कोई हक था भी तो पुनर्विवाह करने से समझत हो गया।

उसी उक्त भूमि के संबंध में एक और आपत्ति पत्र रामसेवक व रामसरन पुत्रगण दीना ने प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत आपत्ति पत्र में शजरा खानदान भी दर्शाया गया है जिसके अनुसार रतनु के दो लड़के भोती व दीना थे, भोती मृतक के एक लड़का मन्ना (भूतक) दीना के रामसेवक व रामसरन लड़के हैं। इन आपत्ति कर्ता गणों द्वारा यह अर्पित की गयी है कि भोती व मन्ना की मृत्यु हो चुकी है और मन्ना की माता रामकली ने भोती की मृत्यु के लगभग 2 वर्ष बाद मुसरू निवासी उमरभारी से विवाह कर लिया, भोती को भरे लगभग 25 वर्ष व मन्ना को भरे लगभग 3 वर्ष हुए बताया है। इन लोगों

यह
नाम
रकबा
रहा
करी
में व
निर्णय
कल को
रतनु
का प्र
भोती
पुत्र
भी
तथा
भी गौ
रित
सतो
गण ई
-2, सी
व
भूमि
वर्ग
लोगों
ई सा
नियम

यत भी कहा गया है कि रामकली ने जलसाजी व घोड़ा देकर लेवीय लेखपाल से भित्तकर क. रामसरन, पुत्रगण दीना निवासी नाम उक्त भूमि पर वर्ज करा लिया है जो जलैय है क्योंकि भोती के मरने के बाद नं० 26,391 का पूर्ण रकबा की सेवा रामकली ने दूसरी शर्ती कर ली है इसलिए उक्त भूमि पर कोई अधिकार बाकी के अनुसार रामकली सेवा भोती रखा है उक्त आपत्ति करने हुये अपने को भूतक मन्ना का वारिस बताते हुये भूमि पर रामसरन पुत्रगण दीना निवासी, कर्मिल व दखिल बताया है तथा उक्त भूमि का मुजाबजा पाने का अधिकारी कहा है।

उक्त आपत्ति कर्ता श्रीमती बदाला, रामसेवक व रामभरन ने अपनी आपत्ति की में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। इन लोगों द्वारा स्थल न्यायालय का स्थगन आदेश निर्णय की दिनांक से 6 सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करने पर ही राजस्व अभिलेखों में अंकित भूत को प्रतिकर भुगतान न करने की कार्यवाही की जायेगी। ऐसा न होने की स्थिति में निर्णय के बाद नियमानुसार भुगतान कर दिया जायगा। संसरा नं० 484 का 1/2 का प्रतिकर नियमानुसार रामसेवक व रामभरन को देय होगा।

संसरा नं० 511
संसरा नं० 57/0-14-15, 426/1-16-2 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सम्मन प्रसाद निवासी तबका के नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। सम्मन प्रसाद का मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा तथा 20 प्रतिशत की दर से व्यय 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

संसरा नं० 514
संसरा प्लॉट नं० 368/3-3-9-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रीपाल, गेंदालाल व ईश्वरीदीन, रामलखन व रामउजागर पुत्रगण भाता प्रसाद निवासी तबका का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। गेंदालाल पुत्र ईश्वरीदीन, रामलखन व रामउजागर पुत्रगण भाता व राम बहादुर पुत्र श्रीपाल ने अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किया है। गेंदालाल भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से, रामलखन, रामउजागर द्वारा 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से व रामबहादुर द्वारा 50/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। लोगों द्वारा न्याय व सोलेशियम की भी मांग की गयी है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा नियमानुसार त्रिसे के मुताबिक देय होगा।

भाता खतोनी सं० 510

ससरा प्लॉट नं० 33/1-19-5 बीघा भूमि ग्राम खीमलेखी में श्रीकेशन व रामके पुत्रगण उमाप्रसाद के नाम ग्राम खीमलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीकेश व रामकेश द्वारा भूमि का प्रतिकर एक संयुक्त मांग पत्र दक्षिण करके किया है । भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

भाता खतोनी सं० 520

ससरा प्लॉट नं० 179/2-5-8-0 बीघा भूमि पर ग्राम खीमलेखी में श्यामलाल छोटेवाल, धनीराम पुत्रगण महावीर रामबासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्यामलाल, छोटेवाल, धनीराम द्वारा अलग-अलग मांग पत्र प्रस्तुत किये गये हैं । इन लोगों द्वारा भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याय व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की गयी है । इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

भाता खतोनी सं० 523

ससरा नं० 59/1-14-1-0, 488/1-18-17-0 बीघा भूमि पर श्रीकेशन से पुत्र परभू का नाम ग्राम खीमलेखी में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीकेशन ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करने हुए भूमि का प्रतिकर 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार न्याय व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पूर्ति में कोई साक्ष्य नहीं दक्षिण किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

भाता खतोनी सं० 524

ससरा प्लॉट नं० 597/1-9-2-0 बीघा भूमि ग्राम खीमलेखी में श्रीकेशन पुत्र लोचन राम बासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । श्रीकेशन की मृत्यु हो चुकी

। प्रस्तुत की गयी खतौनी के अनुसार रामबिलास ना0बा0, मंजू ना0बा0 पुत्रगण खेत
श्रीमती सरस्वती देवी श्रमातः हैं। मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि कर प्रतिफल 30/-
प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं दायित किया है।
भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

गता खतौनी सं0 526

ससरा नं0 170/0-10-0, 171/0-12-0, 172/1-9-13, 173/2-9-0,
05/2-17-18/556/0-18-17, 565/0-4-0

श्रीधर शंकर, वीरेन्द्र कुमार सिंह, पुत्रगण शिवबुलारे सिंह, प्रतापसिंह अयस्क, अंकार सिंह अयस्क,
श्यामसिंह अयस्क, शिवराजसिंह अयस्क, पुत्रगण शिवरतन सिंह, सं0 श्रीमती कर्णा कुमारी
श्रमातः पौत्र मृतक ग्रा0बा0 का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है

ताप सिंह, अंकार सिंह, शिवराज सिंह, श्यामसिंह अयस्क की ओर से उनकी संरक्षक
श्रीमती कर्णा कुमारी ने संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति
वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर
से सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से सेवेरेन्स हेतु मांगा है। सर्रीफ की फसल का प्रतिफल
5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है। ससरा नं0 565 ग्राम की गांवानी के मध्य
माया है। भूलण्ड पर छप्पर, नांदे तथा फक्की चरही, शीवालय बना हुआ बताया है।
जर्न से मुक्त करने को कहा है। मांग कर्ण सिंह, रामकृपाल सिंह, वीरेन्द्र कुमार सिंह

प्रत्येक-प्रत्येक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए चौधारी हिरसे ख खलेम किया है। इन लोगों
का भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा गया है। 15 प्रतिशत की
दर से ब्याज व सोलेशियम 30 प्रतिशत की दर से मांगा है। फसल का प्रतिफल 5000/-
प्रति बीघा की दर से मांगा है। प्लॉट नं0 565 के संबंध में वही बातें कही हैं जो ऊपर
कहती हैं। प्लॉट नं0 170 पर बताया है कि ट्यूबवैल के साथ छोटा
पानी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि
निर्धारित किया जायगा वह पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है। फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि
सल का कटना नहीं लिया गया है। भूमि को जर्न से मुक्त करना इस स्तर से संभव
ही है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार हिरसे
मुताबिक देय होगा।

श्रीमतेषों में श्रीकेशन व रायके
सीरदार अंकित है। श्रीकेश
करके किया है। भूमि का
नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम

कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किए
जायगा, वह नियमानुसार देय

ग्राम अभिलेखों में गणना
श्रेणी-2 सीरदार अंकित है
किये गये हैं। इन लोगों
गया है तथा 20 प्रतिशत
की गयी है। इन लोगों
भूमि का प्रतिफल नियमतः

बीघा भूमि पर श्रीकेशन
त है। श्रीकेशन ने अपना
फुट की दर से मांगा है।
पनी मांग की पुष्टि में कोई

श्रीमतेषों में श्रीकेशन पुत्र
श्रीकेशन की मृत्यु हो चुकी।

बाता सतीनी सं० 527

ससरा प्लाट सं० 7/2-2-1। बीघा भूमि श्यामबिहारी पुत्र धीरो निवासी तल्ला का नाम ग्राम जमिंदारों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। शत्रोहन, भारत पुत्रगण श्यामबिहारी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार वसीयत का सक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त में ही देय होगा।

बाता सतीनी सं० 532

ससरा प्लाट नं० 505/0-5-0 बीघा भूमि ग्राम जमिंदारों में शिवदीन पुत्र उदा ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है। शिवदीन की मृत्यु हो गयी है। प्रस्तुत सतीनी के अनुसार रामदीन पुत्र शिवदीन व रघुनाथ व रामगोपाल व रामगोपाल पुत्रगण नेले, शिवदीन के वरिष्ठ वर्ग हैं। उपरोक्त में से रामदीन द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

बाता सतीनी सं० 534

ससरा प्लाट नं० 354/0-19-6 बीघा भूमि ग्राम जमिंदारों में शोभा पुत्र दुर्गा निवासी तल्ला का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। शोभा ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

बाता सतीनी सं० 534

ससरा प्लाट नं० 145/1-1-5-0 बीघा भूमि ग्राम जमिंदारों में प्रताप सिंह, ओकर सिंह अवयस्क, श्याम सिंह अवयस्क, शिवराज सिंह अवयस्क पुत्रगण शिवरतन सिंह सं० श्रीमती कल्या कुमारी माता स्वयं ग्राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2, सीरदार अंकित है। संयुक्त

पत्र वाकिल करते हुये भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम तथा सड़ी फसल का प्रतिफल 50 5000/- प्रति बीघा की दर से मांगा है । गृह निर्माण हेतु उचित भूमि छोड़ने भी कहा है । इन बातों द्वारा अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । फसल का प्रतिफल देय न होगा क्योंकि फसल का कच्चा नहीं लिया गया है तथा भूमि अर्जन से मुक्त करना येरे स्तर से संभव नहीं है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतौनी सं० 537, 538

ससरा प्लाट नं० 334/1-0-0, 366/2-3-4, 371/1-16-5, 455/1-1-बीघा भूमि ग्राम जीमलेखी में ससरा नं० 334 शत्रोहन पुत्र श्यामलाल के नाम, ससरा 366, 371, 455 शत्रोहन पुत्र श्यामलाल, किशोरी पुत्र परागी व रामसहाय पुत्र रतनू के नाम अंकित है । किशोरी पुत्र परागी की मृत्यु हो चुकी है । प्रस्तुत सतौनी के अनुसार किशोरी के वारिस शत्रोहन पुत्र श्यामलाल (सगा भतीजा) दर्ज है । श्यामलाल ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए उपरोक्त प्लाट नम्बरों का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा उक्त बातों की अर्जित भूमि के लिये डिसे के अनुसार देय होगा । प्रस्तुत सतौनी के अनुसार उक्त सतौनी 538 में किशोरी पत्रक का भी हिस्सा शत्रोहन पुत्र श्यामलाल को नियमानुसार देय होगा तथा इसी सतौनी में 1/3 भाग भूमि का प्रतिफल रामसहाय पुत्र रतनू को नियमानुसार देय होगा ।

सतौनी सं० 539

ससरा नं० 269/0-17-2 बीघा भूमि ग्राम जीमलेखी में सरस्वती पुत्री गोरी नाम बतौर ब्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सरस्वती ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत सोलेशियम व 15 प्रतिशत ब्याज की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

सतौनी सं० 540

सतौनी सं० 541

सतौनी सं० 542

सतौनी सं० 543

सतौनी सं० 544

सतौनी सं० 545

सतौनी सं० 546

सतौनी सं० 547

सतौनी सं० 548

सतौनी सं० 549

सतौनी सं० 550

सतौनी सं० 551

सतौनी सं० 552

सतौनी सं० 553

साता सत्तौनी सं० 540

संख्या नं० 401/2-10-12-0, 507/2-17-10 बीघा भूमि ग्राम अभिलेख में मोहन लाल, मधुरा पुत्रगण छोटेनाल ग्रामवासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सोहनलाल व मधुरा द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 10/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 25/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है। 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से ब्याज की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में इन लोगों द्वारा कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया गया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 544

संख्या नं० 43/3-2-19, 101/1-12-12-0 व 418/2-7-12 बीघा भूमि सियाराम व रामचंद्र पुत्रगण महाबीर निवासी तखवा के नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सियाराम व रामचंद्र द्वारा प्रथक-प्रथक मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है। इन लोगों द्वारा अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 545

संख्या नम्बर 417/1-11-15 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में सन्तु व जगन्नाथ पुत्रगण मुन्ना ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। सन्तु द्वारा अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से तथा नियमानुसार ब्याज की मांग की है। अपनी मांग की पूर्ति में कोई सक्षम नहीं प्रस्तुत किया है। भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा।

साता सत्तौनी सं० 547

संख्या नं० 0-2-0, 467/1-13-2 बीघा भूमि सन्तु, रामकुंवर, इरी व गजोधर पुत्रगण शिवलाल निवासी तखवा का नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार जिक्र है। संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की

दर से मांगा है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता खतोनी सं० 551

ससरा नं० 621/0-8-18 बीघा भूमि ग्राम अमिलेसों में सुमेर पुत्र पुरई के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सुमेर ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांग की है तथा सोलेशियम व ब्याज की भी मांग नियमानुसार की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता खतोनी सं० 553

ससरा नं० 99/0-9-14-0 बीघा भूमि ग्राम अमिलेसों में सर्वजीत पुत्र अम्बर नं० नम्बरा का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । सर्वजीत ने भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा नियमानुसार ब्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता खतोनी सं० 554

ससरा नं० 554ब/1-19-13-0 बीघा भूमि ग्राम अमिलेसों में सन्तू पुत्र भवानी ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खता खतोनी सं० 555

ससरा नं० 530/0-1-10 बीघा भूमि ग्राम अमिलेसों में सन्तू व महाबीर पुत्रगण भवानी ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । इन लोगों द्वारा कोई आपत्ति/मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

बीघा भूमि ग्राम अमिलेसों में बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित करने हुए भूमि का प्रतिफल पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि प्रतिफल की दर से सोलेशियम मांग की पुष्टि में इन लोगों नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।
418/2-7-12 बीघा म ग्राम अमिलेसों में बतौर धक मांग पत्र प्रस्तुत करते तथा 15 प्रतिशत की दर । इन लोगों द्वारा अपनी फल नियमतः जो निर्धारित जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।
खता खतोनी सं० 551
खता खतोनी सं० 553
खता खतोनी सं० 554
खता खतोनी सं० 555
सन्तू, रामकुंवर, डरी व बतौर श्रेणी-2 सीरदार 30/- प्रति वर्ग फुट की

साता सतौनी सं० 557

ससरा नं० 580/0-3-10-0, 581/0-2-0, 584/0-4-0, 230/1191/0-1-10-0 बीघा भूमि ग्राम खिखेल्हों में सन्त कला सिंह, हरदेव सिंह-पुत्रगण सरजू ग्राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । एक संयुक्त मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतौनी सं० 558

ससरा नं० 249/1193 रकबा 0-2-1-0 बीघा भूमि ग्राम जीमलेखों में सीताराम पुत्र दिल्लीबाज ग्राम वासी के नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फुट की दर से सीताराम द्वारा मांगा गया है तथा नियमानुसार न्याज व सोलेशियम की भी मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सबूत नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह देय होगा ।

साता सतौनी सं० 562

ससरा नं० 31/0-15-3-0 बीघा भूमि ग्राम जीमलेखों में सरजू पुत्र पीताम्बर ग्राम वासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार जोक्त है । सरजू द्वारा कोई मांग पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतौनी सं० 564

ससरा नं० 644/1-12-12-0 बीघा भूमि सातिक राम पुत्र जगन्नाथ राम वासी का नाम ग्राम खिखेल्हों में जोक्त है । सातिकराम अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 15 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई सबूत नहीं दिया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 570

0-4-0, 230/1191/0-
। सिंह पुत्रगण सरजू ग्राम
मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये
। 15 प्रतिशत की दर से
अपनी मांग की पुष्टि में
जो निर्धारित किया जायगा,

ससरा नं० 497/0-5-18-0, 503/0-8-0, 515/0-8-16, 95/0-
3-0, 649/0-10-2-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में साहबदीन पुत्र टिस्तीबाज ग्राम वासी
के नाम अंकित है । साहबदीन द्वारा भूमि का प्रतिफल 30/- प्रति वर्ग फिट की दर से
मांगा है तथा 15 प्रतिशत की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग
की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः
जो निर्धारित किया जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

ग्राम अभिलेखों में सीताराम
है । भूमि का प्रतिफल
या नियमानुसार ब्याज व
साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया
होगा ।
में सरजू पुत्र पीताम्बर
रा कोई मांग पत्र प्रस्तुत
जायगा वह नियमानुसार

साता सतीनी सं० 573

ससरा नं० 261/0-10-1-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में श्रीमती सुमिरता
पुत्री लाला पत्नी रामदास ग्राम वासी का नाम अंकित है । सुमिरता ने अपना मांग पत्र
प्रस्तुत करते हुये भूमि का प्रतिफल 15/- प्रति वर्ग फिट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत
की दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की
पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया
जायगा वह नियमानुसार देय होगा ।

साता सतीनी सं० 575

ससरा नं० 608/1-2-18-0 बीघा भूमि ग्राम अभिलेखों में इनोमान पुत्र बाबू
शा०बा० के नाम अंकित है । इनोमान द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि
भूमि भावीनक क्षमता से भरपूर है । भूमि का प्रतिफल 20/- प्रति वर्ग फिट की दर से
मांगा है तथा 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिवर्ष की दर से, 15 प्रतिशत की
दर से ब्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि
में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिफल नियमतः जो निर्धारित किया जायगा
वह नियमानुसार देय होगा ।

। जगन्नाथ ग्राम वासी
प्रस्तुत करते हुये भूमि का
त की दर से सोलेशियम
की पुष्टि में कोई साक्ष्य
ना वह नियमानुसार देय

साता सतीनी सं० 576

ससरा नं० 646/1-14-0 बीघा भूमि पर सुक्कादेवी कियवा कल्लू शा०बा० का
नाम ग्राम अभिलेखों में बतौर सीरदार अंकित है । सुक्कादेवी की मृत्यु हो चुकी है प्रस्तुत

सतीनी इन्तखाब के अनुसार उनके बरिस सुक्कादेवी पुत्री कस्तू इमृत्क की सगी लहकी नि० शम का नाम बरासलन दर्ज है । श्रीमती सुक्कादेवी ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से, न्याज व 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । अपनी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतीनी सं० 504

ससरा नं० 23स/1-9-0 बीघा भूमि ग्राम अमिलेखी में इनामान पुत्र लसई का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । इनामान ने अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30 प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम व 20 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है । इनामान ने अपनी मांग की पुष्टि में कोई सबूत नहीं दिलाया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा, वह नियमानुसार देय होगा ।

खाना सतीनी सं० 587

ससरा नं० 361स/1-4-10 बीघा भूमि ग्राम अमिलेखी में हरी पुत्र मनोहर ग्राम बासी का नाम बतौर श्रेणी-2 सीरदार अंकित है । हरी पुत्र मनोहर द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का प्रतिकर 30/- प्रति वर्ग फुट की दर से मांगा है तथा 20 प्रतिशत की दर से न्याज की मांग की है तथा 30 प्रतिशत की दर से सोलेशियम की मांग की है । हरी द्वारा अपनी की गयी मांग की पुष्टि में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है । भूमि का प्रतिकर नियमतः जो निर्धारित किया जायगा वह देय होगा तथा नियमानुसार सोलेशियम व न्याज भी देय होगा ।

अर्जित होने वाली भूमि में कुछ भूमि पर गड्डे पाये गये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है, ससरा नं० 145/1-1-5-0, 317/1-10-0, 499/5-4-5, 530/5-0-0, 532/0-10-0, 534/0-12-0, 544/0-11-0, 547/0-15-0, 548/0-14-0, 551मि/0-2-1, 525/0-4-10, कुल रकबा 16-7-16 बीघा भूमि पर 5 फुट से लेकर 10 फुट तक गड्डे पीके पर पाये गये हैं इसलिये इस भूमि में 10 प्रतिशत की कटौती समान भूमि के तुलना में लाने हेतु की जा रही है जो अर्जित एवं न्यायसंगत है । कुछ भूमि पर 2 फुट से 4 फुट तक भूमि अन्य भूमि की तुलना में नीची एवं तराई

की सगी लड़की
1 पत्र प्रस्तुत करते
प्रतिशत की वर से
प्रस्तुत किया है ।
दोगा ।

इसोमान पुत्र लसई
पत्र प्रस्तुत करते
0 प्रतिशत की वर
मान ने अपनी मांग
जो निर्धारित किया

इरी पुत्र मनोहर
हर दार मांग पत्र
है तथा 20 प्रतिशत
व की मांग की है।
न्या है । भूमि का
व्यमानुसार सोलेशियम

है जिसका विवरण
9/5-4-5, 530/
/0-15-0, 548/
6 बीघा भूमि पर
भूमि में 10 प्रतिशत
विशत एवं न्यायसंगत
में नीची एवं तराई

क्षेत्र सी है, जिसका विवरण उस प्रकार है । ससराई 2/0-15-0, 3/1-10-0, 107/
2-2-4, 122/1-17-1, 198/1-5-19, 199/2-9-11, 203/1-4-12, 295/
4-16-9, 296/2-5-0, 499/2-0-0, 529/0-7-0, 531/2-6-10, 532/1-
13-0, 534/0-10-0, 536/0-19-0, 537/0-13-15, 538/2-0-2, 540/
0-6-15, 541/0-6-15, 545/0-16-0, 546/0-8-0, 549/0-16-0, 550/
0-1-10, 530/0-16-0, 348/8-3-4, 349/0-11-0, 350/4-11-0, 352/0-
14-17, 353/0-17-11, 354/0-19-6, 355/1-1-4, 357/4-4-3, 350/
3-5-0, 359/4-11-10, 360/1-1-0, 361/1/1-4-10, 361/2/0-2-10,
362/1-2-0, 363/0-6-0, 364/1-7-19, 365/2-17-10, 366/2-3-4,
367/0-12-13, 368/3-3-9, 369/1-3-0, 370/2-1-0, 371/1-16-5,
372/0-16-0, 373/0-11-10, 374/0-10-0, 376/1-7-0, 377/6-2-10,
380/1-1-10, 381/1/0-10-10, 381/2/0-13-0, 382/1/0-19-0, 382/2/
0-16-0, 384/0-10-7, 385/3-4-11, 386/1-19-6, 388/2-12-13, 393/3-
19-5, 400/1-9-5, 401/2-18-12, 402/1-19-3, 403/1-11-10, 404/
1-11-0, 405/2-10-0, 406/2-15-15, 435/0-12-1, 436/0-19-10,
438/2-9-2, 439/9-13-2, 440/0-19-0, 441/1-1-10, 442/3-9-18,
443/2-1-15, 444/1-16-10, 449/2-4-5, 450/2-19-0, 454/1-11-11,
455/1-1-8, 456/6-5-10, 457/1-15-0, 458/0-13-15, 459/0-19-10,
460/0-12-0, 461/7-12-12, 463/1-5-9, 464/5-6-13, 453/0-5-0,
654/7-2-14, 655/0-8-0, 656/1/1-2-13, 656/2/0-6-18, 656/3/0-
6-4, 656/4/0-5-18, 657/0-7-18, 658/0-14-5, 659/0-18-15, 660/
/3-13-10, कुल रकम 200-3-1 बीघा भूमि को समान भूमि की तुलना में लाने हेतु
5 प्रतिशत की कटौती की गयी है ।

अब भूमि के मूल्यांकन के संबंध में विचार करेंगे । नियमानुसार तीन वर्ष की
अवधि के विक्रय पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील लखनऊ से नोट किये गये जो परिशिष्ट-
2 पर जोक्त हैं । तीन वर्ष की अवधि में उस ग्राम में कुल 9 विक्रय पत्र प्राप्त हुए हैं
मनकी विक्रीत दरों में काफी भिन्नता, असमानता पायी जाती है जो प्रतिनिधि विक्रय पत्र
रूप में चयन करना उचित नहीं प्रतीत होता है । अतएव इस ग्राम में निष्पक्षित विक्रय

सत
नि
इ
सो
भूमि
आ
का
इ
के
की
जा
सा
ग्राम
प्र
की
ह
प्र
व
उ
प्र
की
है

पत्रों को निरस्त करने हुए इसी योजना के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि ग्राम सिनहर, जिसकी विस्तृत शिथिल यही है जो इस ग्राम की भूमि की है; के विक्रय पत्र कम संख्या 9 की प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जा रहा है जो भूमि की उपयोगिता को देखते हुए उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है। ग्राम सिनहर के विक्रय पत्र कम संख्या 9 की विक्रीत दर रु० 1-13 पैसे प्रति वर्ग फुट जाती है जिसमें वृहद क्षेत्रफल के पट में कटौती 25 प्रतिशत करने के उपरान्त रु० 0-85 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर जाती है। यह दर ग्राम भरखारा की अर्जित की जा रही भूमि की उपयोगिता को देखते हुए उचित एवं न्याय संगत प्रतीत होती है। अतएव अर्जित की जा रही भूमि का प्रतिफल 0-85 पैसे प्रति वर्ग फुट की दर से नियमित किया जा रहा है।

जर्मन के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर पाये गये कुओं का मूल्यांकन कटकेरू के अनुसार निकाला गया है जो रु० 2,71,116-38 पैसे होता है, अधीनस्थित की जाती है। संबंधित काश्तकारों को फॉर्म-6 के अनुसार देय होगा।

अर्जित भूमि पर पाये गये निर्माणों का मूल्यांकन, लखनऊ विप्लस प्राधिकरण, लखनऊ से प्राप्त हुआ है जो रु० 52,555-00 होता है। यह धनराशि मुझे भी उचित प्रतीत होती है। अधीनस्थित की जाती है जो संबंधित काश्तकारों को फॉर्म-6 के अनुसार देय होगा।

चूंकि निर्माणों एवं कुओं का कच्चा अध्याप्त निकाय को अभी हस्तान्तरित नहीं किया गया है। अतएव निर्माणों एवं कुओं का कच्चा अध्याप्त निकाय को हस्तान्तरित करने के उपरान्त ही उसका प्रतिफल संबंधित काश्तकारों को देय होगा।

प्रतिकर की धनराशि पर कच्चे की तिथि से अतिकर वितरण तिथि तक नियमानुसार व्याज भी देय होगा, तथा प्रथम विस्तृत तिथि से कच्चे की तिथि तक भूमि की कीमत, कुओं की कीमत व निर्माण की कीमत पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर भी देय होगा।

समस्त अर्जित भूमि की मालगुजारी रु० 2,66,114-00 होती है।
रु० 6,652-85 × 40 = 2,66,114-00। अध्याप्त निकाय से वगून कर कोष नगर में जमा किया जायेगा।

समस्त प्राधिकारी, नगर भूमि सीमारोपण, लखनऊ के अतिरिक्त घोषित भूमि की सूचना प्राप्त होने पर ही शासनादेश संख्या 455/अन्वय-86-245 यू०टी०/76 टी०सी०